उत्तराचंल शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या–186 /XXVII(7)/2006
दिनांक देहरादून : 08 मार्च, 2006

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय मे अब तक विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम : और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :

(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों के संबंध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;

(ख) "परिलब्धि" से यदि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित हो तो उसके सिवाय, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 भाग 2 से 4 में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान अभिप्रेत है और इसके अन्तार्गत वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान, यदि देय हो, पर देय समुचित मँहगाई वेतन और बाह्य सेवा के संबंध में प्राप्त वेतन के प्रकार का कोई पारिश्रमिक भी है;

(ग) "परिवार" से

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी या पत्नियों और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान अभिप्रेत है।

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक कर दी गयी है या उस समुदाय की, जिसकी वह अंग है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरण–पोषण की हकदार नहीं रह गयी है तो उसे ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली संबंधित हो, आगे से अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझी जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप में लेखा अधिकारी को यह सूचित न करे कि वह परिवार की सदस्य समझी जाती रहेगी।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता के पति और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान अभिप्रेत है;

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित सूचना द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अपवर्जित करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करे तो पति को उसके आगे से ऐसे मामलों में जिससे यह नियमावली संबंधित हो, अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा, जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न करे।

(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित भाई और बहन।

टिप्पणी:– "संतान" से धर्मज संतान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, जहाँ दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो, दत्तक संतान भी सम्मिलित है।

(घ) "निधि" से सामान्य भविष्य निधि अभिप्रेत है।

(ङ) "छुट्टी" से वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 भाग 2 से 4 में यथा उपबन्धित किसी प्रकार की छुट्टी अभिप्रेत है।

(च) "उपक्रम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:–

(एक) किसी उत्तरांचल अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निगमित परिनियत निकाय,

(दो) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत सरकारी कम्पनी;

(तीन) साधारण खण्ड अधिनियम,1904 की धारा 4 के खण्ड (25)के अर्थान्तर्गत स्थानीय अधिकारी,

(चार) सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनिय,1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वैज्ञानिक संगठन जो पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो,

(पांच) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किसी अन्य पद का, जो या तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या, 19 सन् 1925) में या वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2, भाग 2 से 4 में परिभाषित हो, उपयोग उनमें परिभाषित भाव के अनुसार किया गया है।

(3) इस नियमावली में दी गयी किसी बात का प्रभाव यह नहीं समझा जायेगा कि उसमें इसके पूर्व यथा विद्यमान भविष्य निधि के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है या किसी नयी निधि का गठन किया जा रहा है।

3. निधि का गठन : (1) निधि भारत में रूपयों में रखी जायेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन निधि में जमा की गयी समस्त धनराशि सरकार की पुस्तिकाओं में "सामान्य भविष्य निधि" नामक लेखा में जमा की जायेगी। ऐसी धनराशियाँ जिनका भुगतान इस नियमावली के अधीन भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने के पश्चात् छः मास के भीतर नहीं लिया गया हो, वर्ष के अन्त में "निक्षेप" खाते में अन्तरित कर दी जायेगी और उसके संबंध में निक्षेपों से संबंधित सामान्य नियम लागू होंगे।

4. पात्रता की शर्तें : संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों से भिन्न समस्त स्थायी एवं अस्थायी सरकारी सेवक जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे।

परन्तु कोई सरकारी सेवक जो 01 अक्टूबर, 2005 या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश करता है, या अंशदायी पेंशन का विकल्प देता है के प्रकरण मे टीयर–2 यानि स्वैच्छिक भविष्य निधि योजना लागू होगी।

टिप्पणी :– (1) शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा।

(2) ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक जिसके अन्तर्गत शिशिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं, जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे।

(3) ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक जो एक वर्ष से निरन्तर सेवा किसी मास के मध्य में पूरा करता है, वह अगले अनुवर्ती मास से निधि में अभिदान करेगा।

(4) जैसे ही कोई सरकारी सेवक (शिक्षुओं तथा परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी) निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें।

5. नामांकन : (1) अभिदाता निधि का सदस्य बनते समय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को नामांकन प्रस्तुत करेगा जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसी धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त होगा जो उस धनराशि के देय हो जाने पर भुगतान न होने के पूर्व उसकी मृत्यु की दशा में निधि में उसके नाम जमा हो:

परन्तु कोई अभिदाता जिसका नामांकन करने के समय परिवार हो, ऐसा नामांकन केवल अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ही करेगा:

परन्तु यह और कि ऐसी किसी अन्य भविष्य निधि के संबंध में जिसमें वह निधि का सदस्य बनने के पूर्व अभिदान कर रहा था, अभिदाता द्वारा किये गये नामांकन को, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा धनराशि निधि में उसके जमा में अन्तरित कर दी गयी हो, इस नियम के अधीन सम्यक् रूप से किया गया नामांकन तब तक समझा जायेगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामांकन नहीं करता।

(2) यदि अभिदाता उप नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो वह नामांकन में प्रत्येक नामांकिती को देय धनराशि या अंश को ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे कि सम्पूर्ण धनराशि का जो किसी भी समय निधि में उसके नाम जमा हो, समावेश हो जाय।

(3) प्रत्येक नामाकन प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रारूप में होगा। वह प्राधिकारी जिसे नामांकन प्रस्तुत किया जाय, यह सुनिश्चित करेगा कि वह नियमानुसार है और उसकी प्राप्ति सूचना उसके द्वारा स्वीकार की जायेगी। यदि नामांकन अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाया जाय तो उसे ठीक करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिये अभिदाता को लौटा दिया जायेगा। जब नामांकन स्वीकार कर लिया गया हो तब उसके संबंध में अपेक्षित प्रविष्टियाँ अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में समुचित स्थान पर दर्ज की जायेगी और उस पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किया जायेगा। नामांकन अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक से बांधकर रखा जायेगा और जब उसका किसी दूसरे विभाग या कार्यालय को स्थानान्तरण हो जाय तब उसकी सामान्य भविष्य निधि पासबुक के साथ-साथ नामांकन पासबुक में इस आशय की प्रविष्टि करने के पश्चात् सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को स्थानान्तरित की जायेगी और उनकी प्राप्ति की सूचना भी उस कार्यालय से प्राप्त की जायेगी।

(4) अभिदाता किसी भी समय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को लिखित सूचना भेजकर नामांकन रद्द कर सकता है। अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या पृथक रूप से इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया नया नामांकन भेज सकेगा।

(5) अभिदाता नामांकन में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकता है:-

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामांकिती की अभिदाता के पूर्व मृत्यु की दशा में, उक्त नामांकिती को प्रदत्त अधिकारों ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रांत हो जायेगा जैसा नामांकन में विनिर्दिष्ट किया जाय। परन्तु यह कि ऐसा या ऐसे अन्य व्यक्ति यदि अभिदाता के परिवार में अन्य सदस्य हों, तो ऐसा या ऐसे अन्य सदस्य होगा/होंगे और जहाँ अभिदाता इस नियम के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है वहाँ वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देय धनराशि या अंश ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि नामांकिती को देय सम्पूर्ण धनराशि का समावेश हो जाय।

(ख) नामांकन में विनिर्दिष्ट कोई आकस्मिकता होने की दशा में वह अविधिमान्य हो जायेगा।

परन्तु यदि नामांकन करते समय अभिदाता का कोई परिवार न हो तो वह नामांकन में वह व्यवस्था करेगा कि बाद में उसका परिवार हो जाने की दशा में अविधिमान्य हो जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता के परिवार में केवल एक सदस्य हो, तो वह नामांकन में यह व्यवस्था करेगा कि खण्ड (क) के अधीन वैकल्पिक नामांकिती को प्रदत्त अधिकार उसके अपने परिवार में बाद में अन्य सदस्य या सदस्यों के शामिल हो जाने की दशा में अविधिमान्य हो जायेगा।

(6) ऐसे नामांकिती की जिसके संबंध में उपनियम (5) के खण्ड (क) के अधीन नामांकन में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, मृत्यु होने पर या ऐसी किसी घटना पर जिसके घटने पर जिसके कारण नामांकन उपनियम (5) के खण्ड (ख) या उसके परन्तुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाय, अभिदाता तुरन्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को नामांकन को रद्द करते हुए लिखित सूचना भेजेगा तथा साथ में इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया नया नामांकन भी भेजेगा।

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्द करने को दी गयी प्रत्येक सूचना जहाँ तक यह विधिमान्य हो, उस दिनांक को प्रभावी होगी जिस दिनांक को वह विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त हो।

टिप्पणी : इस नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो शब्द "व्यक्ति" या "व्यक्तियों" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या व्यक्तियों का संगम या निकाय भी है चाहे वह निगमत हो या नहीं।

6. अभिदाता का लेखा : (1) प्रत्येक अभिदाता के नाम एक लेखा खोला जायेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जायेगा :-

(एक) उसका अभिदान,

(दो) ऐसी अन्य धनराशि जैसी सरकार समय-समय पर जैसा करने के लिये विनिश्चित करें,

(तीन) अभिदान पर नियम 11 द्वारा यथा उपबन्धित ब्याज,

(चार) अभिदान पर नियम 12 द्वारा यथा उपबन्धित बोनस, और

(पाँच) निधि से अग्रिम और आहरण।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व अभिदाता के खाते में राजाज्ञानुसार जमा धनराशि भी वैध रूप से इस प्रकार जमा समझी जाएगी, मानो इन नियमों के उपबन्ध साखार समय में प्रवृत थे।

6. (1) लेखों का सही रख-रखाव :

(1) सामान्य भविष्य निधि से संबंधित लेखा संख्या का शत् प्रतिशत सही होने के लिये वर्ग "ग" तथा उससे उच्च कर्मचारियों/ अधिकारियों के प्रकरणों में एक बार महालेखाकार से मिलान कर कोषागार में उपलब्ध सम्बन्धित कर्मचारियों के "डाटा बेस" को सही एवं अद्यावधिक करा लिया जाय।

(2) वर्ग "घ" के प्रकरणों में मानक के आधार पर भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित की जाय। ऐसे कर्मचारियों की खाता संख्या आवंटन करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन आहरण के कोषागार का सूक्ष्म नाम जैसे अल्मोड़ा के लिये **ALM**, बागेश्वर के लिये **BGS**, चम्पावत के लिये **CMP**, चमोली के लिये **CML**, देहरादून के लिये **DDN**, हरिद्वार के लिये **HDR**, कोटद्वार के लिये **KDR**, लैन्सडाउन के लिये **LDN**, नैनीताल के लिये **NTL**, नरेन्द्रनगर के लिये **NGR**, पौड़ी के लिये **PRI**, पिथौरागढ़ के लिये **PTH**, रुड़की के लिये **RKY**, रूद्रप्रयाग के लिये **RPG**, टिहरी के लिये

THY, उत्तरकाशी के लिये **UKS**, उधमसिंह नगर के लिये **UNR**, हल्द्वानी के लिये **HLD**, रानीखेत के लिये **RKT**, एवं चकराता के लिये **CKT** आदि कोड लिखा जाय, एक बार जो भविष्य निधि खाता आवंटित किया जाये उसे निरस्त न किया जाय तथा राज्य की सीमा में स्थानान्तरण होने पर भी वर्ग "घ" की भविष्य निधि का कोषागार कोड एवं खाता संख्या परिवर्तित न किया जाय। कोषागार के उक्त सूक्ष्म नाम के बाद (आहरण एवं वितरण अधिकारी) कोड संख्या संबंधित कोषागार के अनुसार परिवर्तन होगा तथा उसके बाद प्रत्येक (आहरण एवं वितरण अधिकारी) के यहाँ 5 डिजिट कोड (न्यूनतम 00001 तथा अधिकतम 99999) डाला जाय। उदाहरणार्थ बजट अधिकारी वित्त विभाग के यहाँ कार्यरत वर्ग "घ" के कर्मचारी श्री कमल जिसका बजट अधिकारी (आहरण एवं वितरण अधिकारी) कोड 4268 के अधिष्ठान में क्रमांक 3 है तो उसे सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या: **DDN**/4268/00003 आवंटित किया जा सकता है। इस प्रकार आवंटित कोड को कोषागार को सूचित करने के बाद पुनः एक बार शत् प्रतिशत मिलान संबंधित कोषागार के एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के "डाटा बेस" से अवश्य किया जाय। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वर्ग "घ" की भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित करने हेतु एक स्थायी पंजी बनाई जाये तथा निर्धारित मानकों के अनुसार वर्ग "घ" में प्रथम नियुक्ति को भविष्य में निरन्तर क्रमांक में अद्यावधिक रखा जाय।

(3) सामान्य भविष्य निधि खाते से अग्रिम/अन्तिम निष्कासन निर्धारित मानकों के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रकरण का प्रत्येक अभिदाता की खाता संख्या का उल्लेख करके स्वतंत्र आदेश तथा स्वतंत्र देयक (इन्डीपेन्डेन्ट बिल) कोषागार में प्रस्तुत किया जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से संबंधित कर्मचारी के नाम ही स्वतंत्र अभिदाता के नाम (एकाउन्टपेयी) चेक कोषागार द्वारा निर्गत करके भुगतान किया जाय।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष का व्यक्तिगत दायित्व है कि प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी की सामान्य भविष्य निधि से होने वाली कटौती, भुगतान का कोषागार वाउचर संख्या, दिनांक तथा तद्सम्बन्धी धनराशि का उल्लेख खाते (लेजर), पासबुक आदि में किया जाय। प्रत्येक माह की 15–20 तारीख के मध्य ठीक पूर्व माह की कटौतियों/भुगतानों से संबंधित विवरण के अभिलेख/पासबुक पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इस आशय से हस्ताक्षर करेंगे की कटौतियों के भुगतान का सही विवरण अद्यावधिक किया गया है।

(5) वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही एवं द्वितीय छमाही पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अद्यावधिक पासबुक अभिदाता को दिखाकर उस पर अभिदाता के हस्ताक्षर करा कर सत्यापन सुनिश्चित किया जाय।

(6) प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर, विलम्बतम् 15 मई तक वर्ग "घ" के प्रकरण में उस वित्तीय वर्ष में अनुमन्य ब्याज का आगणन कर लेखा पर्ची सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाय। वर्ग "ग" तथा उच्च श्रेणी के कार्मिकों की पासबुक की छाया–प्रति को, जिसमें वित्तीय वर्ष की मासिक कटौतियां, भुगतान यदि कोई हो, प्रारम्भिक अवशेष तथा अन्तिम अवशेष लिखा गया हो, महालेखाकार कार्यालय के सम्बन्धित निधि (फण्ड) अनुभाग में उपलब्ध करा दिया जाय जिससे शत् प्रतिशत सही लेखा तैयार किया जाय एवं समय से लेखा पर्ची जारी की जाय।

7. अभिदान की शर्तें और दरें :

(1) अभिदाता उस अवधि को छोड़कर जब वह निलम्बित हो, निधि में मासिक रूप में अभिदान करेगा :

परन्तु जब अभिदाता पुनः स्थापन पर निलम्बन की अवधि का पूरा वेतन प्राप्त करता है तो वह उस अवधि के लिये देय बकाया अभिदान एक मुश्त या किस्तों में, जैसा अवधारित किया जाय, करेगा। अन्य स्थितियों में अभिदाता अपने विकल्प पर, निलम्बन की अवधि के लिये देय बकाया अभिदान का भुगतान एक मुश्त या किस्तों में जैसा अवधारित किया जाय, कर सकेगा।

परन्तु यह और कि अभिदाता ऐसे छुट्टी के दौरान जिसके लिये या तो कोई छुट्टी वेतन न मिले या आधा वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन मिले, अपने विकल्प पर चाहे तो अभिदान नहीं करेगा।

(2) अभिदाता उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदान न करने के अपने चयन की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा :-

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपने निजी वेतन बिलों का आहरण करता हो तो वह छुट्टी पर जाने के पश्चात तैयार किये गये अपने प्रथम वेतन बिल में अभिदान के लेखे में कोई कटौती न करके,

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जो अपने निजी वेतन बिलों का आहरण करता हो तो वह छुट्टी पर जाने के पूर्व अपने कार्यालय के प्रधान को लिखित सूचना द्वारा;

सम्यक और समय से सूचना न देने पर यह समझा जायेगा कि उसने अभिदान करने का चुनाव कर लिया है। इस उपनियम के अधीन अभिदाता द्वारा दी गयी सूचना अन्तिम होगी।

(3) अभिदाता जिसने नियम 24 के अधीन निधि में अपने नाम से जमा धनराशि का आहरण कर लिया है, ऐसे आहरण के पश्चात् निधि में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह छुट्टी से ड्यूटी पर न लौट आये।

(4) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुये भी :

(क) अभिदाता की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्व उसके अन्तिम छः मास के वेतन से निधि में अभिदान के लिये कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(ख) अभिदाता उस मास के लिये जिसमें वह सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर से भिन्न अन्य रूप से सेवा का त्याग करता है, तब तक निधि में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त मास के प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त मास के लिये अभिदान करने के अपने विकल्प की लिखित सूचना कार्यालयाध्यक्ष को न दे दे।

8. अभिदान की धनराशि :

(1) अभिदान की धनराशि अभिदाता द्वारा स्वयं इस शर्त के अधीन रहते हुऐ निर्धारित की जायेगी कि धनराशि 10 प्रतिशत से कम और उसके मूल वेतन की धनराशि से अधिक नहीं होगी और पूर्ण रुपयों में व्यक्त की जायेगी। यदि किसी नियमावली/शासनादेश में मूल वेतन की जगह परिलब्धियॉ परिभाषित हों तब तद्नुसार कार्यवाही की जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पॉच भाग–1 के नियम–81 के उपनियम (3) के अनुसार "सम्पूर्ण कटौतियॉ एक तिहाई भाग की दर से अधिक नहीं हो सकेगी" का भी ध्यान रखा जाय।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ अभिदाता का मूल वेतन निम्नलिखित होगा:–

(क) ऐसे अभिदाता के मामलें में, जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31मार्च को सरकारी सेवा में था वह मूल वेतन जिसका वह उस दिनांक को हकदार था।

परन्तु –

(एक) यदि अभिदाता उक्त दिनांक को छुट्टी पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का उसने चुनाव किया था या उक्त दिनांक को निलम्बित था तो उसका जीवन निर्वाह भत्ता वह मूल वेतन होगा जिसका वह अपनी ड्यूटी पर लौटने के पश्चात प्रथम दिन का हकदार था,

(दो) (क) यदि अभिदाता उक्त दिनांक को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त दिनांक को छुट्टी पर था और छुट्टी पर ही चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान उसने अभिदान करने का चुनाव किया हो तो उसका मूल वेतन वह मूल वेतन होगा जिसका वह हकदार होता यदि वह भारत में ड्यूटी पर होता।

(ख) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में नहीं था, उसका मूल वेतन ऐसा मूल वेतन होगा जिसका वह निधि का सदस्य बनने के दिनांक को हकदार था।

(3) अभिदाता प्रत्येक वर्ष में अपने मासिक अभिदान की धनराशि के निर्धारण की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा:–

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष 31 मार्च को ड्यूटी पर था, तो कटौती द्वारा जिसे वह उस मास के अपने वेतन बिल से इस निमित्त कराये।

(ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था, और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का उसने चुनाव किया हो या उस दिनांक को निलम्बित था तो कटौती द्वारा जिसे वह अपनी ड्यूटी पर लौटने के पश्चात अपने प्रथम वेतन बिल से इस निमित्त कराये।

(ग) यदि उसने वर्ष के दौरान पहली बार सरकारी सेवा में प्रवेश किया हो तो कटौती द्वारा जिसे वह उस मास के लिये जिसके दौरान वह निधि का सदस्य बने, अपने वेतन बिल से इस निमित्त कराये,

(घ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था, और छुट्टी पर बना रहे और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का उसने चुनाव किया है तो कटौती द्वारा जिसे वह उस मास के लिये अपने वेतन बिल से कराये।

(ड) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को किसी उपक्रम में बाहय सेवा पर था तो चालू वर्ष में अप्रैल मास के लिये अभिदान के मद्दे कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में धनराशि जमा करके या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखाधिकारी को धनराशि अग्रसारित करके।

(4) इस प्रकार निर्धारित अभिदान की धनराशि को –

(क) वर्ष के दौरान किसी समय एक बार कम किया जा सकता है,

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु जब अभिदान की धनराशि इस प्रकार कम कर दी जाय तो वह उपनियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कलेण्डर मास के भाग के लिये बिना वेतन के छुट्टी पर या अर्द्ध वेतन/अर्द्ध औसत वेतन पर छुट्टी पर हो और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चुनाव किया हो तो इस वेतन की धनराशि छुट्टी पर व्यतीत किये गये दिनों की संख्या जिसके अंतर्गत ऊपर निर्दिष्ट से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो भी है, अनुपात में होगा।

9. बाहय सेवा या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:

जब अभिदाता का स्थानान्तरण बाहय सेवा में कर दिया जाय या उसे भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाय तो वह निधि के नियमों के अधीन उसी प्रकार रहेगा मानों उसका इस प्रकार स्थानान्तरण नहीं किया गया हो या उसे प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो।

10. अभिदान की वसूली:

(1) जब मूल वेतन का आहरण भारत में किसी सरकारी कोषागार से या भारत के बाहर संवितरण के किसी प्राधिकृत कार्यालय से किया जाय तब अभिदान और अग्रिमों की वसूली स्वयं मूल वेतन से की जायेगी।

(2) (क) जब कोई अभिदाता उत्तरांचल राज्य में स्थित किसी उपक्रम में बाहय सेवा पर हो तो उपर्युक्त देयों की वसूली प्रति माह ऐसे उपक्रम द्वारा की जायेगी और उसे कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जायेगा।

(ख) उत्तरांचल राज्य के बाहर स्थित किसी उपक्रम में अभिदाता के प्रतिनियुक्ति पर होने की दशा में, उक्त देयों की वसूली प्रति मास उस उपक्रम द्वारा की जायेगी और भारतीय स्टेट बैंक के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखा अधिकारी को भेज दी जायेगी।

(ग) यदि अभिदाता किसी अन्य संस्था में वाह्य सेवा पर हो तो वाह्य नियोजक या अभिदाता प्रति मास उक्त देयों को कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा करेगा, यदि संस्था उत्तरांचल राज्य में स्थित हो या देयों को प्रति मास भारतीय स्टेट बैंक के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखा अधिकारी को भेजेगा यदि संस्था उत्तरांचल राज्य के बाहर स्थित हो।

टिप्पणी

जब देयों को कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाय तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अभिदाता की लेखा संख्या और अन्य सुसंगत प्रविष्टियाँ सही भरी जाय।

(3) यदि अभिदाता उस दिनांक से जिस दिनांक को उससे निधि का सदस्य बनने की अपेक्षा की जाय, अभिदान करने में विफल रहेगा वर्ष के दौरान किसी मास या मासों में, नियम 7 में जैसा उपबन्धित है उससे अन्यथा व्यतिक्रम करता है तो अभिदान के बकाये के लेखा निधि में कुल धनराशि का भुगतान अभिदाता द्वारा तुरन्त कर दिया जायेगा या व्यतिक्रम करने पर उसकी वसूली उसकी परिलब्धियों से किस्तों में या अन्य प्रकार से जैसा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, कटौती करके की जायेगी।

11. ब्याजः

(1) उप नियम (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सरकार अभिदाता के लेखे में जमा करके ऐसी दर पर जैसी प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा अवधारित की जाय, ब्याज का भुगतान करेगी।

(2) (क) प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन अभिदाता के लेखे में ब्याज निम्नलिखित रीति से जमा किया जायेगाः–

(एक) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिनांक को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर चालू वर्ष की समाप्ति तक,

(दो) (क) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिनांक के पश्चात लेखे में जमा समस्त धनराशि पर जमा के दिनांक से चालू वर्ष की समाप्ति तक,

(ख) चालू वर्ष के दौरान निकाली गयी किसी धनराशि पर उस मास के जिसमें ऐसी धनराशि निकाली गयी थी, प्रथम दिन से चालू वर्ष के अन्त तक कोई ब्याज अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) यदि उपर्युक्तानुसार अवधारित ब्याज की धनराशि पूर्ण रुपयों में न हो, तो उसे निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, पचास पैसे से कम रुपये के किसी भाग को छोड़कर दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा।

स्पष्टीकरणः पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिनांक को अभिदाता के नामे जमा धनराशि के अन्तर्गत ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिये देय बोनस, यदि कोई हो, की धनराशि भी है।

परन्तु जब अभिदाता के नामे जमा धनराशि देय हो गयी हो तो इस उप नियम के अधीन उस पर ब्याज, यथास्थिति, चालू वर्ष के प्रारम्भ से या जमा के दिनांक तक जब अभिदाता के नाम जमा धनराशि देय हो गयी, की अवधि के संबंध में ही जमा किया जायेगा।

(3) इस नियम में परिलब्धियों से वसूली के मामले में जमा के दिनांक को उस मास का जिसमें वह वसूल किया जाय प्रथम दिन समझा जायेगा :

परन्तु यदि अभिदाता के वेतन या छुट्टी वेतन और भत्तों के आहरण में विलम्ब हुआ हो और परिणाम स्वरूप निधि में उसके अभिदान की वसूली में विलम्ब हुआ हो तो ऐसे अभिदान पर ब्याज उस मास से देय होगा जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन नियमों के अधीन देय था, इस बात को दृष्टि में लाये बिना कि वह वास्तव में किस माह में आहरित किया गया था। परन्तु यह और कि यदि किसी मास की परिलब्धियों का आहरण और वितरण उसी मास के अन्तिम कार्य दिनांक को किया जाय, तो जमा का दिनांक उसके अभिदानों की वसूली के मामले में अनुवर्ती मास का प्रथम दिन समझा जायेगा।

(4) नियम 20, 21 या 22 के अधीन भुगतान की जाने वाली किसी धनराशि के अतिरिक्त उस पर उस मास के जिसमें भुगतान प्राधिकृत किया जाय, पूर्ववर्ती मास के अन्त तक का ब्याज उस व्यक्ति को जिसको ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाना हो, देय होगा।

परन्तु यदि नियम 24 के उपनियम (4) और (5) के अधीन अपेक्षित आवेदन पत्र सब प्रकार से पूरा करके दावा की गयी धनराशि के देय होने के दिनांक से छः मास की समाप्ति के पश्चात कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जिसका कर्तव्य उस लेखा अधिकारी को अग्रसारित करना है, प्रस्तुत किया जाय तो ब्याज केवल उस माह के जिसमें भुगतान प्राधिकृत किया जाय, पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक या उस मास के जिसमें ऐसी धनराशि देय हो गयी, पश्चात बारहवें मास की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले हो, देय होगी, सिवाय उस स्थिति के जिसमें सम्बद्ध कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के समाधानानुसार यह साबित हो जाय कि उक्त आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने में विलम्ब आवेदक के नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण हुआ था और ऐसे मामले में इस परन्तुक के प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि यदि ऐसे अभिदाता को जो किसी उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हो, उपक्रम में बाद में भूतलक्षी दिनांक से आमेलित कर लिया जाय, तब अभिदाता की निधि में संचित धनराशि पर देय ब्याज की गणना करने के प्रयोजनार्थ आमेलन संबंधी आदेश के जारी करने के दिनांक को ऐसा दिनांक समझा जायेगा जब अभिदाता के नाम जमा धनराशि देय हो गयी।

(5) अभिदाता के लेखा में ब्याज जमा नहीं किया जायेगा यदि वह आहरण एवं वितरण अधिकारी को यह सूचित करे कि वह उसे प्राप्त नहीं करना चाहता है; किन्तु, यदि वह बाद में ब्याज की मांग करे तो उसे उस वर्ष के, जिसमें वह उसकी मांग करता है प्रथम दिनांक से जमा किया जायेगा।

(6) यदि यह पाया जाए कि अभिदाता ने निधि से आहरण के दिनांक को अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकाल ली है तो अति आहरित धनराशि का प्रतिदान भले ही अति आहरण निधि से किसी अग्रिम या अन्तिम निष्कासन के दौरान किया गया हो, उस पर ब्याज सहित उसके द्वारा किया जायेगा, या व्यतिक्रम करने पर, अभिदाता की परिलब्धियों या अन्य देयों से कटौती करने, उसकी वसूली करने का आदेश दिया जायेगा। यदि अभिदाता अब भी सेवा में है तो साधारणतः धनराशि का प्रतिदान उसके द्वारा किया जयेगा या उससे एकमुश्त वसूल किया जायेगा किन्तु यदि वसूली की जाने वाली कुल धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूलियों की सेवानिवृत्ति के पूर्व की अवधि को ध्यान में रखते हुये मासिक किस्तों में, जैसा अवधारित की जाय, की जा सकती है। ऐसे अभिदाता के मामले में जो अब सेवा में न हो उसके द्वारा ब्याज सहित संपूर्ण धनराशि का प्रतिदान किया जायेगा या उससे एक मुश्त वसूल की जायेगी। आहरण के समस्त मामलों में जहाँ अति आहरित धनराशि या उसके भाग को ब्याज सहित अन्य साधनों से वसूल नहीं किया जा सकता वहाँ उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी। अति आहरित धनराशि को, वसूली के पश्चात सम्बद्ध विभाग के प्राप्ति शीर्षक के अधीन सरकारी लेखे में जमा किया जायेगा।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट अति आहरित धनराशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर उपनियम (1) के अधीन भविष्य निधि अतिशेष पर ब्याज की सामान्य दर से 2 – 1/2 प्रतिशत अधिक होगी। अति आहरित धनराशि पर वसूल किये गये ब्याज को लेखाशीर्षक– "2049–ब्याज प्राप्तियाँ– राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की ब्याज प्राप्तियाँ –– अन्य विविध ऋणों पर ब्याज" के अंतर्गत उपशीर्षक "भविष्य निधि से अति आहरण पर ब्याज" में सरकारी लेखे में जमा किया जायेगा।

(8) यदि नियम 23 के अधीन कोई अधिक या गलत भुगतान कर दिया जाय तो इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि को ब्याज सहित जैसा कि ऊपर उप नियम (6) में उल्लिखित है मृत अभिदाता की परिलब्धियों या अन्य देयों से वसूल किया जायेगा और उसे उपर्युक्त उपनियम में विहित रीति से सरकारी लेखों में जमा किया जायेगा। यदि ऐसा कोई देय न हो या अधिक भुगतान की गयी धनराशि की पूर्ण वसूली उससे नहीं की जा सकती तो देय धनराशि की वसूली, यदि आवश्यक हो, उस व्यक्ति से जिसने अधिक या गलत भुगतान प्राप्त किया हो, भू–राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।

टिप्पणी :– नियम 20 के अधीन अग्रिम/आहरण, अन्तिम भुगतान/भुगतान के लिये समस्त अनुरोधों को ध्यान से संवीक्षा की जायेगी और ऐसे मामलों में जहाँ अधिक भुगतान हुआ हो, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो, प्रशासनिक और लेखा प्राधिकारियों दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12. **प्रेरक बोनस योजना** : शासन की नीतियों के अधीन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

13. निधि से अग्रिम :

(1) श्रेणी ''घ'' के लिये कार्यालयाध्यक्ष तथा शेष के लिये नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, उपनियम (2), (3), (4), (5), (6) या (7) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा धनराशि से अस्थायी अग्रिम (पूर्ण रुपये में) दिया जा सकता है।

टिप्पणी :– आवेदन पत्र तथा स्वीकृति आदेश का प्ररूप परिशिष्ट ''क'' पर दिया गया है।

(2) कोई अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक स्वीकृति प्राधिकारी का समाधान न हो जाय कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियाँ उसको न्यायोचित ठहराती हैं और कि उसका व्यय निम्नलिखित उद्देश्यों पर, न कि अन्यथा किया जायेगा, अर्थात––

(एक) बीमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता के संबंध में व्यय जिसके अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो, अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति पर,

(दो) उच्च शिक्षा के व्यय की पूर्ति पर जिसके अन्तर्गत यदि आवश्यक हो, अभिदाता उनके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का निम्नलिखित दशाओं में यात्रा व्यय भी है, अर्थात :–

(क) हाई स्कूल स्तर के बाद शैक्षिक, प्राविधिक वृत्तिक या व्यवसायिक पाठयक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(ख) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम।

(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्ध कर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रुढिगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के संबंध में भी उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृह कर्म के संबंध में उपगत करना हो,

(चार) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के व्यय की पूर्ति पर,

(पॉच) अभिदाता के प्रतिवाद के व्यय की पूर्ति पर, जहाँ वह अपनी ओर से किसी तथाकथित पदीय कदाचार के संबंध में जाति में अपना प्रतिवाद करने के लिये किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करे,

(छः) गृह या गृह स्थान के लिये या उसके निवास के लिये गृह निर्माण या उसके गृह के पुनर्निर्माण, मरम्मत या उनमें परिवर्द्धन या परिवर्तन के लिये या गृह निर्माण योजना जिसके अन्तर्गत स्व-वित्त पोषित योजना भी है, के अधीन किसी विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, आवास परिषद या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा उसे गृह स्थान या गृह के आवंटन के लिये भुगतान करने के लिये व्यय या उसके भाग की पूर्ति पर,

(सात) अभिदाता के उपयोग के लिये मोटर साइकिल, स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है), साइकिल, रेफ्रीजरेटर, रूम कूलर, कुकिंग गैस कनैक्सन या वाशिंग मशीन, इन्वर्टर, टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर सेट की लागत एवं घरेलू फर्नीचर की खरीद के व्यय की पूर्ति पर,

परन्तु राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में उपखण्ड (एक) से (सात) में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये किसी अभिदाता को अग्रिम का भुगतान करने की स्वीकृति दे सकते हैं, यदि राज्यपाल उसके समर्थन में दिये गये औचित्य से संतुष्ट हो जायें।

(3) स्वीकृति प्राधिकारी अग्रिम देने के लिये उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

(4) विशेष कारणों के सिवाय कोई अग्रिम--

(एक) अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा, या

(दो) तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमों का अंतिम प्रतिदान करने के पश्चात् कम से कम बारह मास व्यतीत न हो जाय।

परन्तु जब तक पहले से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि तथा आवेदित नयी अग्रिम धनराशि का योग प्रथम अग्रिम देने के समय खण्ड (एक) के अधीन अनुमन्य धनराशि से अधिक न हो तब तक द्वितीय अग्रिम या अनुवर्ती अग्रिमों की स्वीकृति के लिये विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं की जायेगी और ऐसे अग्रिम श्रेणी "घ" के लिये कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, वर्ग "ग" के प्रकरण में जिले में विभाग का सर्वोच्च अधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी यदि ऐसा न हो तो मण्डल स्तरीय अधिकारी तथा ऐसी स्थिति न होने पर राज्य स्तरीय अधिकारी वर्ग "ख" एवं "क" के लिये विभागाध्यक्ष द्वारा तथा विभागाध्यक्ष या जिनकी रिर्पोटिंग सीधे शासन स्तर पर है शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा जहाँ ऐसे अधिकारियों का अधिष्ठान देखा जाता है द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं भले ही खण्ड (दो) में उल्लिखित शर्त की पूर्ति न होती हों।

स्पष्टीकरणः— इस परन्तुक में पद "पहले से दी गयी अग्रिम धनराशि" का तात्पर्य वास्तव में दी गयी धनराशि या धनराशियों से है, न कि किसी प्रतिदान के पश्चात् विद्यमान अतिशेष से।

(तीन) विशेष कारणों के लिये स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की अधिकतम् सीमा जमा धनराशि के 3/4 से अधिक नहीं होगी, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के नियम–81 के उपनियम (3) का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(5) यदि किसी पूववर्ती अग्रिम की अंतिम किस्त के प्रतिदान की पूर्ति के पूर्व उपनियम (4) के अधीन कोई अग्रिम स्वीकृत किया जाय तो किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूल न किये गेये शेष को इस प्रकार स्वीकृत अग्रिम में जोड़ दिया जायेगा और वसूली की किस्ते संहत धनराशि के निर्देश में होगी।

(6) किसी अग्रिम की धनराशि का निर्धारण करने में स्वीकृति प्राधिकारी निधि में अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर सम्यक ध्यान देगा। यदि कभी अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पासबुक या नियम 27 के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य सहित निधि में अपने जमाखाते में विद्यमान धनराशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी सीमा के भीतर अग्रिम स्वीकृत कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले से स्वीकृत किसी अग्रिम या प्रत्याहरण को ध्यान में रखेगा। अग्रिम की स्वीकृत में सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या अवश्य इंगित होना चाहिए और उसकी एक प्रति सामान्य भविष्य निधि पास बुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(7) साधारणतया अभिदाता को कोई अग्रिम उसकी सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी विशेष मामले में जसमें ऐसे अग्रिम की स्वीकृति अपरिहार्य हो, उसको स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह "घ" के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को एवं अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा लेखाधिकारी को तुरन्त दे दी जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रिम की धनराशि यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व अभिदाता से पूर्ण रूप से वसूल न की गयी हो तो सम्यक रूप से उसका समायोजन नियम–24 के उपनियम (4) या उपनियम (5) के खण्ड (ख) के जो भी लागू हों, अधीन उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति किया जायेगा।

14—अग्रिमों की वसूली:

(1) अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली ऐसी बराबर मासिक किस्तों की संख्या में की जायेगी जैसा स्वीकृति प्राधिकारी निर्देश दे किन्तु ऐसी संख्या बारह से कम, जब तक अभिदाता ऐसा न चाहे, और चौबीस से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में जहाँ अग्रिम की धनराशि नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, स्वीकृति प्राधिकारी किस्तों की संख्या निर्धारित कर सकता है जो चौबीस से अधिक किन्तु किसी भी मामले में छत्तीस से अधिक नहीं हो। प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किस्तें ऐसी रीति से निर्धारित की जाय कि अग्रिम की समस्त धनराशि अधिक से अधिक अभिदाता की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के दिनांक से पूर्ववर्ती छः मास तक वसूल हो जाये। कोई अभिदाता अपने विकल्प पर एक मास में एक से अधिक किस्तों का प्रतिदान कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों, में होगी, ऐसी किस्तों का निर्धारण करने में अग्रिम की धनराशि को, यदि आवश्यक हो, तो बढ़ाया या कम किया जा सकता है।

(2) वसूली नियम 10 में विहित रीति से की जायेगी और उस मास के जिसमें अग्रिम आहरित किया गया हो अनुवर्ती मास के लिए वेतन दिये जाने से प्रारम्भ होगी। जब अभिदाता जीवन निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो या किसी कैलेण्डर मास में उस दिन या इससे अधिक के लिए छुट्टी पर हो जिसमें न तो कोई छुट्टी वेतन मिलता हो और न यथास्थिति, आधा वेतन के बराबर छुट्टी वेतन या अर्द्ध औसत वेतन मिलता हो तब वसूली सिवाय अभिदाता की सम्मति के नहीं की जायेगी। अभिदाता को दिये गये वेतन के किसी अग्रिम की वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर निधि से लिऐ गये अग्रिम की वसूली प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा सकती है।

(3) यदि कोई अग्रिम अभिदाता को स्वीकृत किया गया हो और उसके द्वारा आहरित कर लिया गया हो और बाद में प्रतिदान पूरा होने के पूर्व अग्रिम नामंजूर कर दिया जाय तो प्रत्याहृत धनराशि का सम्पूर्ण या अतिशेष अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिदान कर दिया जायेगा। स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अभिदाता के मूल वेतन से एकमुश्त या बारह से अनधिक ऐसी मासिक किस्तों में जैसा किसी अग्रिम की, जिसके दिये जाने के लिए नियम–13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हों, स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, कटौती करके वसूल किये जाने का आदेश दिये जायेगा।

(4) इस नियम के अधीन की गयी वसूलियाँ उसी प्रकार निधि में अभिदाता के लेखे में जमा की जायेंगी जिस प्रकार वे की गयी हों।

15—अग्रिम का दोषपूर्ण उपयोग:

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी यदि स्वीकृति प्रधिकारी का समाधान हो जाय कि नियम 13 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में आहरित धनराशि का उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए स्वीकृति अभिलिखित की गयी हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया हो तो वह अभिदाता को निधि में प्रश्नगत धनराशि का प्रतिदान तुरन्त करने का निर्देश देगा, यह चेक करने पर अभिदाता की परिलब्धियों से एकमुस्त कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा और यदि प्रतिदान की जाने वाली कुल धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली ऐसी मासिक किस्तों में की जायेगी जैसी अवधारित की जाय।

16–निधि से अन्तिम प्रत्याहरणः–

(1) इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नहीं होगा, विभागाध्यक्ष द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है।

टिप्पणीः– आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश का प्ररूप परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

(अ) अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियॉ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनॉक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थातः

(क) निम्नलिखित मामलों में:

(एक) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्क्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(दो) हाई स्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठय्क्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहॉ आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।

(ख) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य संबंधी के विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिये,

(ग) अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप में आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या विकलॉगता के संबंध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहॉ आवश्यक हो, यात्रा–व्यय भी है, की पूर्ति के लिए।

(ब) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद् बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियॉ यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनॉक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत वेतन के संबंध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात्–

(एक) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) क्रय करने या इस प्रयोजन के लिये पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिए।

(दो) उराकी मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर की व्यापक मरम्मत या उसको ओवरहाल करने के लिये।

(स) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद् बहाली हुई हो. और सेवा की अन्य खण्डित अवधियॉं यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनॉक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्–

(क) उसके आवास के लिए, उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है;

(ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उयुक्त मकान या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए;

(ग) उसके आवास के लिए, मकान बनाने के लिए भूमि क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए,

(घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये,

(ङ) पैतृक गृह का पुनरुद्धार,परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,

(च) उप खण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थान पर मकान बनाने के लिये,

(द) अभिदाता तीन वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियॉं यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् अभिदाता द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर या अभिदाता और उसकी पत्नी/उसके पति के संयुक्त जीवन पर ली गयी जीवन बीमा की चार से अनधिक पॉलिसियों,जिसके अन्तर्गत निधि से अब तक वित्त–पोषित की जा रही पॉलिसिया हैं, के प्रीमियम/प्रीमियमों का निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से भुगतान करने के प्रयोजन के लिये।

(ध) अभिदाता की सेवानिवृत्ति के दिनॉक के पूर्ववर्ती बारह मास् के भीतर निधि से उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि की भूमि या कारोबार की भूमि या दोनों का अर्जन करने के प्रयोजन के लिये।

टिप्पणी–1 इस नियम के अधीन किसी प्रयोजन के प्रत्याहरण हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित सेवा अवधि में छूट राज्य सरकार द्वारा दी सकती है।

टिप्पणी–2 इस नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिये केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी, किन्तु विभिन्न संतानों का विवाह या विभिन्न अवसरों पर बीमारी या गृह या फ्लैट में ऐसा अग्रेतर परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिये जो उस क्षेत्र की जिसमें ऐसा गृह या फ्लैट स्थित हो नगरपालिका निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित नये नक्शे के अनुसार हो,या जीवन बीमा की पॉलिसियों के प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतान और विभिन्न वर्षो में संतानों की शिक्षा को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। यदि दो या अधिक विवाह साथ–साथ सम्पन्न किये जाने हों तो प्रत्येक विवाह के संबंध में अनुमन्य धनराशि का अवधारण उसी प्रकार किया जायेगा,मानों एक के पश्चात् दूसरा प्रत्याहरण पृथक–पृथक स्वीकृत किया गया हो।

टिप्पणी–3 एक ही गृह को पूरा करने के लिये खण्ड (स) के उपखण्ड (क) या (ख) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती प्रत्याहरण की अनुमति टिप्पणी–5 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जायेगी।

टिप्पणी–4 जीवन बीमा की समस्त पॉलिसियों के प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतान के लिये एक वर्ष में केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पणी–5 ऐसा अभिदाता जो वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5,भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये किसी अग्रिम का लाभ उठा चुका हो या जिसे इस संबंध में किसी अन्य सरकारी स्रोत से कोई सहायता प्राप्त हो गयी हो, खण्ड (स) के उपखण्ड (क), (ग), (घ) और (च) के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये और नियम 17 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपर्युक्त नियमों के अधीन लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के प्रयोजन के लिये भी अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये पात्र होगा।

टिप्पणी–6 ऐसा गृह, फ्लैट या गृह के लिये स्थल जिसके लिये उपर्युक्तानुसार, धनराशि प्रत्याहृत करने का प्रस्ताव है, अभिदाता के ड्यूटी के स्थान पर या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसके आवास के अभिप्रेत स्थान पर स्थित होगा। यदि अभिदाता के पास कोई पैतृक गृह है या उसने सरकार से लिये गये ऋण की सहायता से अपनी ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर गृह निर्माण कर लिया है तो वह अपनी ड्यूटी के स्थान पर किसी गृह स्थल के क्रय के लिये या किसी अन्य गृह के निर्माण के लिये तैयार बने फ्लैट का अर्जन करने के लिये खण्ड (स) के उपखण्ड (क), (ग) और (च) के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये पात्र होगा।

टिप्पणी–7 खण्ड (स) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वयं यह समाधान करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा कि–––

(एक) धनराशि, अभिदाता द्वारा उल्लिखित प्रयोजनों के लिये वास्तव में अपेक्षित है,

(दो) अभिदाता का प्रस्तावित स्थल पर कब्जा है या वह तुरन्त उस पर किसी गृह का निर्माण करने का अधिकार अर्जित करना चाहता है,

(तीन) प्रत्याहृत धनराशि और ऐसी अन्य निजी बचत, यदि कोई हो, जो अभिदाता का हो, प्रस्तावित प्रकार के गृह के निर्माण, अर्जन अन्तर्गत स्थल भी है, पर निर्विवाद हक प्राप्त करेगा,

(चार) गृह स्थल, गृह या तैयार बने फ्लैट के क्रय के लिये प्रत्याहरण के मामले में अभिदाता गृह स्थल, गृह या फ्लैट जिनके अन्तर्गत स्थल भी है, पर निर्विवाद हक प्राप्त करेगा,

(पांच) उपर्युक्त खण्ड (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अभिदाता ने ऐसे आवश्यक विलेख–पत्र और कागजात स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिये हैं जिससे प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में उसका हक साबित हो।

टिप्पणी–8 खण्ड (स) के उपखण्ड (ख) के अधीन प्रत्याहरण के लिये प्रस्तावित धनराशि और उपखण्ड (क) के अधीन पूर्व प्रत्याहृत धनराशि,यदि कोई हो,आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनॉक को विद्यमान अतिशेष के तीन चौथाई (3/4) से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी–9 खण्ड (स) उपखण्ड (क) या (घ) के अधीन प्रत्याहरण की अनुमति उस दशा में भी दी जायेगी जहां गृह स्थल या गृह पत्नी या पति के नाम में हो। यदि वह अभिदाता द्वारा किये गये नामांकन में भविष्य निधि पाने के लिए प्रथम नामांकिती हो।

स्पष्टीकरण–1 यदि अभिदाता संयुक्त सम्पत्ति में ऐसे अंश से भिन्न जो स्वतंत्र आवासिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त न हो पहले से किसी गृह स्थल या गृह, फ्लैट का स्वामी हो, तो उस यथास्थिति, गृह स्थल या गृह, फ्लैट के क्रय, निर्माण, अर्जन या मोचन के लिए कोई प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–2 स्थानीय निकायों से पट्टे पर किसी भूखण्ड के अर्जन या ऐसे भूखण्ड पर गृह निर्माण करने के लिए भी प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण–3 गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये, लिये गये किसी प्रकार के ऋण के चाहे वह किसी निजी पक्षकार से या वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5,भाग–1 के अधीन सरकार से या निम्न या मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन लिया गया हो, प्रतिदान के लिये प्रत्याहरण अनुज्ञेय है।

टिप्पणी–10 नियम 17 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्धारित आर्थिक सीमा के अधीन रहते हुए, मोटर कार, साईकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिये भी प्रत्याहरणों की अनुमति दी जायेगी, चाहे अभिदाता ने वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन उसी प्रयोजन के लिए पहले से ही कोई अग्रिम ले लिया हो, परन्तु इन दोनों स्रोतों से ली गयी कुल धनराशि, यथास्थिति, मोटर साईकिल या स्कूटर के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो।

टिप्पणी–11 जीवन बीमा पालिसियों, जिनके संबंध में खण्ड (घ) के अधीन प्रत्याहरण स्वीकृत किया जाय, अभिदाता की पत्नी या पति और संतान या उनमें से किसी एक से भिन्न किसी अन्य हिताधिकारी के लाभ के लिये ली गई नहीं होनी चाहिये ।

टिप्पणी 12

(1) यदि नियम 13 के अधीन कोई अग्रिम उसी प्रयोजन के लिये और उसी समय स्वीकृत किया जा रहा हो तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(2) जब अभिदाता अपनी सामान्य भविश्य निधि पास बुक या नियम 27 के अधीन लेखाधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविश्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य के निर्देश में निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी विहित सीमा के भीतर प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता के पक्ष में पहले से स्वीकृत किसी प्रत्याहरण या अग्रिम को ध्यान में रखेगा। प्रत्याहरण के लिये स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होना चाहिये और उसकी एक प्रति सामान्य निधि पास बुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी ।

(3) साधारणतया अभिदाता को कोई अग्रिम उसकी सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । किसी विशेष मामले में जिसमें ऐसे अग्रिम की स्वीकृति अपरिहार्य हो उसे स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी को यह सुनिश्चत करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह "घ" के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखा अधिकारी को तुरन्त दे दी जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि अग्रिम/प्रत्याहरण की धनराशि नियम 24 के उप नियम (4) या उप नियम (5) के खण्ड (ख) के जो भी लागू हो, के अधीन अभिदाता को भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति सम्यक रूप से समायोजित की जाय।

17.प्रत्याहरण की शर्ते :

(1) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है:

परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उप खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 1

गृह निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि **1,25,000** रुपये से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया गया है और स्वीकृति प्राधिकारी को उसके लिये दिये गये औचित्य के संबंध में समाधान हो जाय को तद्नुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

टिप्पणी 2 :

(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या नियम **16** के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उपखण्ड (घ) में या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है, जो रुपये **40,000** से अधिक नहीं होगी। ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व–वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े, तो जब–जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम **16** के उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायेगा।

(ख) नियम **16** के उप नियम (1) के खण्ड (ब) के उप खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा **50,000** रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इनमें जो भी कम हो, होगी।

(ग) नियम **16** के उपनियम (1) के खण्ड (ब) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा **5,000** रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या ओवरहॉलिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से जो भी कम हो होगी।

(2) अभिदाता जिसको नियम 16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा दी गयी हो, स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहृत किया गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एकमुश्त धनराशि में किया जायेगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एकमुश्त धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में जैसी अवधारित की जाय, वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा।

टिप्पणी 1 : विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा।

टिप्पणी 2 : गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया जायेगा और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये, किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना हो या उस प्रयोजन के लिये इसके पूर्व लिये गये किसी निजी ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 3 : गृह स्थल का क्रय, यथास्थिति प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की पूर्ति के संबंध में स्वीकृति प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु भुगतान करने के लिये यथास्थिति प्रत्याहरण या किसी प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक स्वरूप विक्रेता, गृह निर्माण समिति आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण : विक्रय या अन्तरण विलेख के संबंध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह स्थल की लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है।

टिप्पणी 4 : किसी बीमा पालिसी के लिये प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित या फ़ोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी,ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिये कोई अग्रेतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम **16** के उपनियम (1) के खण्ड (स) के उपखण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गयी हो, राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याहृत धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये गृह स्थल के कब्जे से चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान विनियम द्वारा या अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा।

परन्तु ऐसी अनुज्ञा–

(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिये, **या**

(दो) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के, जो नये गृह के निर्माण के लिये या किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये ऋण देता हो, पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के लिये, आवश्यक नहीं होगी।

18. अग्रिम का प्रत्याहरण में परिवर्तन :

नियम **13** के उप नियम (4) के अधीन विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभिदाता के जिसने किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जिसके लिये नियम **16** के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण भी अनुमन्य हो,नियम 13 के अधीन अस्थायी अग्रिम पहले ही आहरित कर लिया हो,लिखित अनुरोध पर,नियम **16** और **17** में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, अग्रिम के देय अतिशेष को प्रत्याहरण में परिवर्तित कर सकता है।

टिप्पणी 1 : आहरण एवं वितरण अधिकारी ऊपरिलिखित सक्षम प्राधिकारी में किसी अग्रिम के प्रत्याहरण में परिवर्तन करने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर वेतन बिल से वसूली रोक देगा। ऐसे राजपत्रित अभिदाताओं के मामले में जो स्वयं आहरण अधिकारी हों, सक्षम प्राधिकारी ऐसे परिवर्तन संबंधी आदेश की एक प्रति कोषागार अधिकारी को जहॉ से अभिदाता अपना वेतन आहरित करता हो,पृष्ठांकित करेगा, जिससे कि कोषागार अधिकारी अग्रेतर वसूलियों को रोक सके। परिवर्तन के प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी अपने आदेश की एक प्रति लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित करेगा।

टिप्पणी 2 : प्रत्याहरण में परिवर्तित किये जाने वाले अग्रिम की धनराशि नियम 17 के उप नियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी, इस प्रयोजन के लिये परिवर्तन के समय अभिदाता के खाते में विद्यमान अतिशेष तथा अग्रिम की बकाया धनराशि का निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान अतिशेष समझा जायेगा। प्रत्येक प्रत्याहरण को एक पृथक प्रत्याहरण समझा जायेगा और यही सिद्धान्त एक से अधिक परिवर्तनों की दशा में भी लागू होगा।

19. बीमा पॉलिसियों का पुनः समनुदेशन :

इस नियमावली के प्रारम्भ के पश्चात लेखा अधिकारी अब तक निधि से वित्त–पोषित की जा रही वर्तमान पॉलिसियों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :–

(एक) यदि पॉलिसी एतदपूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन राज्यपाल को समनुदेशित की गयी हो तो प्रथम अनुसूची में प्रपत्र (1) में पॉलिसी, यथास्थिति, अभिदाता को या संयुक्त बीमाकृतों को पुनः समानुदेशित करेगा और उसे जीवन बीमा निगम को सम्बोधित पुनः समानुदेशन की हस्ताक्षरित सूचना सहित अभिदाता को हस्तान्तरित करेगा।

(दो) यदि पॉलिसी एतदपूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन केवल उसको समर्पित की गयी हो तो यह पॉलिसी अभिदाता को हस्तान्तरित कर देगा।

(तीन) यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो लेखा अधिकारी–

(क) यदि पॉलिसी एतदपूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन राज्यपाल को समनुदेशित की गयी हो तो प्रथम अनुसूची में प्रपत्र (2) में पॉलिसी ऐसे व्यक्ति को पुनः समनुदेशित करेगा जो वैध रूप से उसे पाने का हकदार हो, और पॉलिसी जीवन बीमा निगम को सम्बोधित पुनः समानुदेशन की हस्तान्तरित सूचना सहित ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा,

(ख) यदि पॉलिसी एतदपूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन केवल उसको समर्पित की गयी हो, जो पॉलिसी हिताधिकारी को, यदि कोई हो, या यदि कोई हिताधिकारी न हो, तो ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा जो वैध रूप से उसे प्राप्त करने का हकदार हो।

परन्तु यदि राज्यपाल को समनुदेशित की गयी कोई पॉलिसी परिपक्व हो गयी हो या अभिदाता की पत्नी या पति की मृत्यु के कारण भुगतान के लिये देय हो गयी हो और बीमाकृत धनराशि लेखाधिकारी द्वारा जीवन बीमा निगम से वसूल कर ली गयी हो और अभिदाता के खाते में जमा कर दी गयी हो तो उक्त पॉलिसी को पुनः समानुदेशित करने की आवश्यकता नहीं है।

20. निधि में संचित धनराशियों का अन्तिम भुगतान :

जब कोई अभिदाता सेवा को छोड़ता है, तब निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि उसको देय हो जायेगी:
परन्तु ऐसा अभिदाता जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो और बाद में उसे बहाल कर दिया गया हो, इस नियम के अनुसरण में निधि से उसको भुगतान की गयी किसी धनराशि को यदि सरकार द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाय, एकमुश्त या ऐसी किस्तों में जैसी अवधारित की जायं, प्रतिदान करेगा। इस प्रकार प्रतिदान की गयी धनराशि को उसके लेखा में जमा किया जायेगा।

परन्तु यह और कि जहॉ अभिदाता सेवा छोड़ने के पश्चात् केन्द्र सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार या किसी उपक्रम के अधीन किसी नये पद पर किसी क्रमभंग (व्यवधान) सहित या रहित नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके अभिदानों की समस्त धनराशि तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज को, यदि वह ऐसा चाहे, उसके नये भविष्य निधि लेखा में अन्तरित किया जा सकेगा, यदि यथास्थिति, सम्बद्ध सरकार या उपक्रम भी ऐसे अन्तरण के लिये सहमत हो। किन्तु यदि अभिदाता ऐसे अन्तरण के लिये विकल्प नहीं करेगा सम्बद्ध सरकार या उपक्रम उसके लिये सहमत न हो तो उपर्युक्त धनराशि अभिदाता को वापस कर दी जायेगी।

21. अभिदाता की सेवानिवृत्ति : जब कोई अभिदाता–

(क) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हो या, यदि वह किसी अवकाश विभाग में नियोजित है, अवकाश मिलाकर सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हो या,

(ख) जब छुट्टी पर हो,उसे सेवानिवृत्ति होने की अनुज्ञा दे दी गयी हो या उसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अग्रेतर सेवा के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तब निधि में उसके जमा खातों में विद्यमान धनराशि इस निमित्त उसके द्वारा आवेदन पत्र देने पर अभिदाता को देय हो जायेगी:

परन्तु यदि खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाली किसी मामले में अभिदाता ड्यूटी पर लौट आता है तो वह अपने विवेक से निधि में अपने खाते में जमा करने के लिये इस नियम के अनुसरण में भुगतान की गयी धनराशि का प्रतिदान कर सकता है।

22.अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया :

किसी अभिदाता की मृत्यु उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि उसे देय होने के पूर्व या यदि धनराशि देय हो गयी हो तो उसका भुगतान होने के पूर्व, होने पर अभिदाता के जमाखाते की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित रीति से किया जायेगा–

(एक) जब अभिदाता अपने पीछे परिवार छोड़ता है और–

(क) यदि नियम 5 के या एतद्पूर्व प्रवृत्त तत्समान नियम के उपबन्धों के अनुसार अभिदाता द्वारा अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन विद्यमान है तो निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि या उसका भाग जिसके संबंध में नामांकन हो, उसके नामांकिती या नामांकितियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय हो जायेगी:

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई ऐसा नामांकन न हो या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि के केवल किसी भाग के संबंध में हो,तो यथास्थिति,ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसका भाग, जिसके संबंध में नामांकन न हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में तात्पर्यित किसी नामांकन के होते हुये भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर–बराबर भाग में देय हो जायेगी,

परन्तु कोई अंश—

(1) पुत्रों को,जो वयस्क हो गये हों,
(2) मृत पुत्र के पुत्रों को जो वयस्क हो गये हों,
(3) विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हों,
(4) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हों, देय नहीं होगा,यदि खण्ड (1), (2), (3) और (4) में इन विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न परिवार का कोई सदस्य हो।

परन्तु यह और कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान या संतानें अपने बीच बराबर–बराबर भाग में केवल उस अंश को प्राप्त करेंगे, जिसे वह पुत्र प्राप्त करता,यदि वह अभिदाता के बाद तक जीवत रहता और उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबन्धों से छूट दी गयी होती।

टिप्पणी 1 : अभिदाता के परिवार के सदस्य को इस नियम के अधीन देय कोई धनराशि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे सदस्य में निहित होती है।

टिप्पणी 2 :(एक) यदि कोई नामांकित भविष्य निधि अधिनियम,1925 की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अभिदाता का आश्रित हो,तो धनराशि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे नामांकिती में निहित होती है।

(दो) यदि अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता और यदि नियम 5 के या एतद्पूर्व प्रवृत्त तत्समान नियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया गया नामांकन है, तो निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि या उसका भाग जिसके संबंध में नामांकन हो, उसके नामांकिती या नामांकितियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय होगा।

(तीन) यदि अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता और नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामंकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि के केवल एक भाग से संबंधित हो तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के सुसंगत उपबन्धों में ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसके भाग पर जिसके संबंध में नामांकन न हो, प्रयोज्य होंगे।

23. जमा से सम्बद्ध बीमा योजना :

सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह **"घ"** के अभिदाताओं के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी और अन्य मामलों विभागाध्यक्ष निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेग।

(1) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो –

(क) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 13500 रुपये या अधिक हो के मामले में 30,000 रुपये,

(दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 9,000 रुपये या अधिक किन्तु 13,500 रुपये से कम हो, के मामले में 27,000 रुपया,

(तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 4,000 रुपये या इससे अधिक किन्तु 9,000 रुपये से कम हो, के मामले में 12,000 रुपया,

(चार) (क) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये से कम हो, के मामले में 10,000 रुपया;

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

टिप्पणी 1 :– औसत अतिशेष मास के, जिसमें मृत्यु हुयी हो, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा। इस प्रयोजन और उपर्युक्त निहित न्यूनतम अतिशेष की जाँच करने के प्रयोजन के लिये भी –

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत नियम 11 के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी होगा, और

(ख) यदि उपर्थुक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास के अन्त तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है।

टिप्पणी 2 :– इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रुपया में किया जायेगा। धनराशि को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, रुपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा।

टिप्पणी 3 :– इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि की प्रकृति का है और इस लिये भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा–3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी 4 :– जब कोई सरकारी सेवक नियम 25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो, किन्तु यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पाँच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके संबंध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई हो, तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी। पूर्ववर्ती सेवायोजक, के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी–1 में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा।

टिप्पणी 5 :– समूह "घ" के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जाँच करेगा और यदि यह पाया जाय कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त धनराशि नियम 24 के उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

यदि किसी मामले में यह पाया जाय कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।

24. निधि में धनराशि के भुगतान की रीति :–

(1) जब निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि देय हो जाय तब उसका भुगतान, जैसा कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा–4 में दिया गया है, एतद्द्वारा विहित रीति से किया जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसको इस नियमावली के अधीन कोई धनराशि या बीमा पॉलिसी भुगतान की जानी हो, समनुदेशित, पुनः समनुदेशित की जानी हो, या परिदत्त की जाने वाली हो, पागल है, जिसकी सम्पदा के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के अधीन, इस निमित्त कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया हो तो भुगतान पुनः समनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबन्धक को किया जायेगा, न कि उस पागल को।

(3) भुगतान भारत में और केवल रुपयों में किया जायेगा। वह व्यक्ति जिसकी धनराशि देय हो, भारत में भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं अपना प्रबन्ध करेगा।

(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप–425(ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।

(5)(क) समुह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425 (क) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जाँच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

टिप्पणी : यदि किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, तो परिकलन शीट की जाँच सम्बद्ध जिले के कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(ख) स्वीकृता प्राधिकारी प्ररूप 425 (क) या 425 (ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

25. निधि में संचित धनराशियों का अंतरण :–

किसी व्यक्ति के केन्द्र या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा से उत्तरांचल राज्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर प्रक्रिया :

(क) यदि कोई सरकारी सेवक जो केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अनभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता हो उत्तरांचल सरकार की सेवा में स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाय और सम्यक अनुक्रम में उसे स्थायी किये जाने की संभावना हो तो स्थानान्तरण के दिनांक को ऐसी अन्य निधि में उसके जमा खाते का अतिशेष, अन्य सरकार की सम्मति से निधि में उसके जमा खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा।

(ख) यदि कोई सरकारी सेवक जो केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार से अभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता हो उत्तरांचल सरकार की सेवा में स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाय और सम्यक अनुक्रमों में उसके स्थायी किये जाने की संभावना हो तो –

(एक) ऐसी नियुक्ति के दिनांक को ऐसी अभिदायी भविष्य निधि में उसके जमा खाते का अतिशेष अन्य सरकार की सम्मति से निधि में उसके जमा खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा;

(दो) ऐसे अन्य सरकार के अंशदान की धनराशि जो अभिदायी भविष्य निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान हो उस पर ब्याज सहित, अन्य सरकार की सम्मति से, राज्य राजस्व में जमा की जायेगी।

26. किसी व्यक्ति के किसी उपक्रम की सेवा से सरकारी सेवा में स्थानान्तरण पर प्रक्रिया:–

यदि निधि का सदस्य बनाया गया कोई व्यक्ति पहले किसी उपक्रम के भविष्य निधि का अभिदाता था या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रर्कीण उपबन्ध अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1952) द्वारा विनियमित था तो उसके अभिदानों की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान यदि कोई हो, उस पर ब्याज सहित उस निकाय की सम्मत्ति से, निधि में उनके जमा खाते में अन्तरित किया जायेगा।

<u>प्रक्रिया के नियम :</u>

27. लेखे का वार्षिक विवरण अभिदाता को दिया जायेगा :–

(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को विद्यमान प्रारम्भिक अतिशेष वर्ष के दौरान जमा की

गयी या नाम डाली गयी धनराशि वर्ष के 31 मार्च को जमा की गयी ब्याज की कुल धनराशि और उस दिनांक को विद्यमान अंतिम अतिशेष को दर्शाया जायेगा।

(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण–पत्र के दूसरी ओर लुप्त जमा, यदि कोई हो, का पूरा विवरण भी देगा।

(3) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपना समाधान, कर लेना चाहिए और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित की गयी सामान्य भविष्य निधि पास बुक सुसंगत उद्धरण सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिए। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह भी एक व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे सम्बद्ध अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों के महालेखाकार कार्यालय की लेखा पर्ची/ लेजरों की लुप्त प्रविष्टियों को भविष्य निधि पास बुकों की प्रमाणित प्रतियों को भेजकर या पत्र–व्यवहार द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ठीक करायें।

28. सामान्य भविष्य निधि पास बुक :–

(1) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि पास बुक, ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय और अभिदाता ऐसी फीस का,जैसी विहित की जाय भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि पास बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे अन्तराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय, उसे अद्यतन कराने का हकदार होगा।

(2) यदि किसी अभिदाता का स्थानान्तरण किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाय, तो उसके स्थानान्तरण के दिनांक तक के लिये हर प्रकार से पूर्ण उसकी पास बुक उसके अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम को अग्रसारित किया जाय और सामान्य भविष्य निधि पास बुक में स्थानान्तरण के दिनांक को विद्यमान अन्त अतिशेष का उल्लेख अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त पास बुक को ऐसे सरकारी विभाग, उपक्रम द्वारा ऐसी रीति से रखा जायेगा जैसी उपनियम (1) में विहित है।

(क) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष महालेखाकार, उत्तरांचल को निम्नलिखित सूचनाएं दी जायेंगी:–

1. ऐसे अभिदाताओं के नाम और लेखा संख्या जिनका पूर्व एक वर्ष में नामांकन हुआ है।

2. ऐसे अभिदाताओं की सूची जिन्होंने अन्य कार्यालयों/विभागों से स्थानान्तरण द्वारा वर्ष के मध्य में कार्यभार ग्रहण किया हो।

3. ऐसे अभिदाताओं की सूची जो वर्ष के मध्य में अन्य कार्यालयों/विभागों को स्थानान्तरित हुए हों ।

4. ऐसे अभिदाताओं की सूची जो आगामी 18 माह के दौरान सेवानिवृत्त होने जा रहे हों।

आज्ञा से,
सचिव।

प्रथम अनुसूची [नियम 5 (3) नामांकन प्रारूप]

क्या अभिदाता का कोई परिवार है–हाँ / नहीं

सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या..............

मैं....................................(पूरा नाम) एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति / व्यक्तियों को, जो उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 के नियम 2(ग) में यथा परिभाषित मेरे परिवार का / के सदस्य है / हैं, नहीं है / नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों के रूप में नाम–निर्दिष्ट करता हूँ जो निधि में मेरे जमाखाते में विद्यमान धनराशि को उसके देय हो जाने के पूर्व मेरी मृत्यु की दशा में, मृत्यु पूर्व देय हो जाने किन्तु उसका भुगतान न होने की दशा में जैसा नीचे इंगित किया गया है, प्राप्त करेगा / करेगें:–

नामांकिती (नामांकितियों) का नाम और पूरा पता	अभिदाता के साथ संबंध	नामाकिती (नामांकितियों) की आयु	प्रत्येक नामांकितियों को देय अंश	आकस्मिकता जिसके होने पर नामांकन अविधिमान्य हो जायेगा	अभिदाता से पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में जिसको नामांकिती का अधिकारी प्राप्त हो जायेगा ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों का यदि कोई हो, नाम, पता और संबंध
1	2	3	4	5	6

दिनांक.. मास ....20.......................................

स्थान...

साक्षियों के हस्ताक्षर

	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.			

अभिदाता के हस्ताक्षर ....

बड़े अक्षरों में नाम ....

पदनाम ....

टिप्पणी : ऐसा अभिदाता जिसका नामांकन करते समय कोई परिवार हो, केवल अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा नामांकन करेगा। ऐसे अभिदाता के मामले में जिसका नामांकन करते समय परिवार न रहा हो, बाद में परिवार हो जाने पर नामांकन अविधिमान्य हो जायेगा।

(प्रारूप के दूसरी ओर)

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपयोग करने के लिये

स्थान...................................

श्री / श्रीमती / कुमारी ....पदनाम...................................

द्वारा नामांकन :

नामांकन की प्राप्ति का दिनांक...

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष

पद का नाम.......................................

दिनांक:..

अभिदाता के लिए अनुदेश –

(क) यह उल्लेख करें कि क्या आपका कोई परिवार है? उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली–2006 में उल्लिखित पद "परिवार" की परिभाषा नीचे पुनः उद्धृत है;–

"परिवार" का तात्पर्य–

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी या पत्नियों और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान से है।
परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक कर दी गयी है या उस समुदाय की, जिसकी वह अंग है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरण–पोषण की हकदार नहीं रह गयी है, तो उसे ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली सम्बन्धित हो, आगे से अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप में लेखा अधिकारी को यह सूचित न करे कि वह परिवार की सदस्य समझी जाती रहेगी।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता के पति और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान से है।
परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित सूचना द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अपवर्जित करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करे तो पति को उसके आगे से ऐसे मामलों में जिससे यह नियमावली संबंधित हो, अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा, जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न करे।

टिप्पणी– "संतान" का तात्पर्य धर्मज संतान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ तक दत्तक ग्रहण को अभिदाता पर शासी स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) द्वारा मान्यता प्राप्त हो, दत्तक संतान भी है।

(ख) लेखा संख्या सही–सही लिखी जानी चाहिए।

(ग) स्तम्भ–4 में यदि केवल एक व्यक्ति नामांकित किया गया हो, तो शब्द "सम्पूर्ण" नामांकिती के सामने लिखा जाना चाहिये। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामांकिती हों, तो प्रत्येक नामांकिती को देय अंश जिसके अंतर्गत भविष्य निधि की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय, विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(घ) स्तम्भ–5 में नामांकिती /नामांकितियों की मृत्यु को इस स्तम्भ में आकस्मिकता के रूप में उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिए।

(ड़) स्तम्भ – 6 इस स्तम्भ में अपना नाम उल्लिखित न करें ।

(च) आपके द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात किसी नाम की बढ़ोत्तरी न कर दी जाय, इसके लिये अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आर–पार रेखा खीचिये ।

द्वितीय अनुसूची (नियम–19)
उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल द्वारा पुनः समनुदेशन प्रारूप
प्रारूप (1)

उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 के नियम 19 के अनुसरण में उत्तरांचल के राज्यपाल एतद्द्वारा ऊपर नामित कख/खग और गघ को इसके अन्तर्गत जीवन बीमा की पालिसी पुनः समनुदेशित करते हैं।

आज दिनांक ....मास...20 ....की ....निम्नलिखित की उपस्थिति में उत्तरांचल के राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से निधि के लेखा अधिकारी ....द्वारा निष्पादित किया गया।

म प | अ म

(साक्षी का पदनाम और पता) | लेखाधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप(2)

चूंकि ऊपर नामित व्यक्ति क ख की मुत्यु दिनांक................................मास ....20...... को हो गयी है, अतः उत्तरांचल के राज्यपाल एतद्द्वारा *उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 के नियम 19 के अनुसरण में ग घ ....को इसके अन्तर्गत जीवन बीमा की पालिसी पुनः समनुदेशित करते हैं।

आज दिनांक ....मास...20 ....की ....निम्नलिखित की उपस्थिति में उत्तरांचल के राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से निधि के .... लेखा अधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया ।

म प | अ म

(साक्षी का पदनाम और पता) | लेखाधिकारी के हस्ताक्षर

*पालिसी पाने के वैध रूप से हकदार व्यक्तियों का विवरण भरिये ।

तृतीय अनुसूची [नियम 24(5) (क)] (4)
प्रारूप–425 क
(समूह 'घ' के सरकारी सेवकों से भिन्न सरकारी सेवकों के लिए)

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

____

____

____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

में सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं। ....मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुटटी पर चला गया/गयी हूं/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूँ और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक................ के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया /गयी हूं।

2– मैं अनुरोध करता /करती हूं के मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या....................................है।

3– 20..................के.....................मास के मेरे वेतन बिल से भविष्य निधि अभिदान के रूप में................रु0 की धनराशि की अंतिम बार कटौती की गई थी।

4– मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मैंने चालू वर्ष तथा पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षो के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से न तो कोई अस्थाई अग्रिम लिया है और न कोई अंतिम प्रत्याहरण किया है। चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा लिये गये अंतिम प्रत्याहरण का ब्यौरा/अंतिम अस्थायी अग्रिम का ब्यौरा और साथ–साथ वसूली का भी ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क– अंतिम प्रत्याहरण

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ख–अस्थायी अग्रिम

अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	किस्तों की संख्या जिसमें धनराशि की वसूली की जानी हो	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल की गई किस्तों की सख्या और धनराशि	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल न की गई किस्तों की संख्या और धनराशि	यदि वसूली नियमित न हो रही तो उसके कारण दीजिए

5– मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि बीमा की किस्त (प्रीमियम) के भुगतान के लिए चालू और पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा कोई धनराशि प्रत्याहृत नही की गई थी। निम्नलिखित धनराशियां प्रत्याहृत की गयी थी :

क्रम संख्या	धनराशि	आहरण एवं दिनांक
1		
2		
3		

6– भविष्य निधि से मेरे द्वारा वित्तपोषित ऐसी जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा जिन्हें निर्मुक्त किया जाना है,नीचे दिया गया है :–

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम	बीमाकृत धनराशि
1			
2			
3			

7– मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग–दो के अनुसार अनुमन्य) धनराशि के भुगतान से या उपादान से न किया गया हो तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूगा/दूंगी।

स्थान....................
दिनांक ....

भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम और पता

भाग– दो

समान्य भविष्य निधि,लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी एक/दो,
उत्तरांचल, देहरादून ।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ .... मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/ सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूँ और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक .... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूँ।

2– मैं अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या.............................. में अपने जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उर्पयुक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं एतदद्वारा अनुरोध करता/करती हूं कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से करा दिया जाय ।

3– *राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मेरे नमूना हस्ताक्षर दो प्रतियों में संलग्न है।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम और पता

---

*पैरा 3 केवल तब लागू होता है जब कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से भुगतान की इच्छा की जाय।

भाग–तीन

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप।

(नामांकितियों द्वारा या यदि कोई नामांकन ना हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु)

सेवा में,

....
....
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत,का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये है:–

1— सरकारी सेवक का नाम..

2— सरकारी सेवक द्वारा धृत पद..

3— मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए)...................................

4— भविष्य निधि लेखा संख्या,..

5— अभिदाता के नियम–2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा:—

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से संबंध	अभिदाता की मृत्यु के दिनाँक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लेखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

6— अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा, यदि नामांकन हो :—

क्रम संख्या	नामांकिती का नाम	अभिदाता से संबंध	नामांकिती का अंश	दावा का कारण, ,यदि नामांकित अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

7—किसी अवयस्क की जिसकी मां (अभिदाता की विधवा)हिन्दू न हो,देय धनराशि के मामले में,दावे का समर्थन यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध पत्र या संरक्षण प्रमाण पत्र द्वारा किया जाना चाहिये।

8—यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और, कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट–पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा)

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से संबंध	पता
1			
2			
3			
4			

9– दावेदार/दावेदारों का धर्म ....

10– भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/..कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से वांछित है। इस संबंध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:–

एक– वैयक्तिक पहचान के चिन्ह–

दो– बांये/दांये हाथ का अंगुठे और अंगुलियों के निशान (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)

तीन– नमूने के हस्ताक्षर,दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)

11– मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नही किया गया है। तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करुंगा/करुंगी/करेंगें।

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

भाग–चार

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

(नामाकितियों द्वारा यदि कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एक/दो
उत्तरांचल देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मेंने /हम लोगों ने श्री/ श्रीमती.. के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या.................................... में अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी............................ कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जाय।

स्थान.......................................

दिनांक ....

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)

1– श्री/श्रीमती..का भविष्य निधि लेखा संख्या...............................हैं

2– वह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है/ सेवानिवृत्त होगा/ होगी ....मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/ उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया हैं, और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसे दिनांक................................... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।

3– ....रुपये की अन्तिम कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए रुपये की वसूली उसके वेतन से......................कोषागार के.................वाउचर संख्या.................................. दिनांक...से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न ....रुपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया ।

4– प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू वर्ष तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो में न तो कोई अस्थाई अग्रिम स्वीकृत किया गया है और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अंतिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अंतिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो के दौरान उनके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

(क)– अंतिम प्रत्याहरण–

क्रम सख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1					
2					
3					
4					

(ख)– अस्थायी अग्रिमः–

क्रम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1						
2						
3						
4						

5– प्रमाणित किया जाता है कि बीमा की किस्त के भुगतान के लिए चालू वर्ष और पूर्ववर्ती पाँच वर्षो के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गई/निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गई ।

क्रम संख्या	धनराशि	आहरण का दिनांक	वााउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
1					
2					
3					
4					

6– दिनाक........................(वह दिनांक जब धनराशि देय हो चुकी हो) को उसकी सामान्य भविष्य निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और (बोनस यदि कोई हो) भी है, संलग्न परिकलन शीट के अनुसार..रुपये (अंकों में) .... रुपया (शब्दों में) .... है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत...... ....रुपया होता है।

7– प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है। अतएव ....रुपये (अंकों मे) ....रूपये शब्दों में जो अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष का 90 प्रतिशत है का भुगतान.................................... ....अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों के नाम को करने की संस्तुति की जाती है।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जाती है।

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रु0)
1		
2		
3		
4		

ऊपर वर्णित वसूलियों के मददे............................रुपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से..(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को..रुपये (अंकों मे) ....रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8–अभिदाता की मृत्यु दिनांक.................................. को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

9–परिकलन शीट (तीन प्रतियो मे) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित.................................. को अग्रसारित ।

दिनांक..............................

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
और मुहर

जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1– प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जॉच कर ली है, जो सही है।

2...रुपये (अंकों मे) ....रुपये (शब्दों मे) के भुगतान की संस्तुति की जाती हैं।

3–..(स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित ।

दिनांक.........................

जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1– ....(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को.. रुपये (अंकों में) .... रुपये (शब्दो में) का भुगतान स्वीकृत किया गया ।

2– शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पासबुक महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को अग्रसारित की गयी। सामान्य भविष्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस की जाय।

दिनाक..............................

स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो क्रम संख्या 8 के विरुद्ध सूचना प्रस्तुत की जायेगी।

तृतीय अनुसूची [नियम 24(4)]
प्रारूप–425 (ख)
(समूह 'घ' के सरकारी सेवकों के लिए)

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

....

....

....

(लेखा अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं । ....मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे चुका हूं/चुकी हूं। और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक.................. के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूँ।

2– मैं अनुरोध करता /करती हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि में मेरे जमाखाते में विद्यमान सम्पूर्ण धनराशि का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय।

3– मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या.................................. है। मैं आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से भुगतान लेने का/की इच्छुक हूँ।

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम	बीमा की धनराशि
1			
2			
3			
4			

स्थान–

दिनाक–

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम– ....

पता– ....

भाग–दो

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।
(नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामाकन न हो, वहाँ दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

सेवा में,

....

....

....

(लेखा अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैः–

1– सरकारी सेवक का नाम..

2– सरकारी सेवक द्वारा धृत पद–...

3– मृत्यु की दिनांक (मृत्यु प्रमाण –पत्र संलग्न कीजिए.)..

4– भविष्य निधि लेखा संख्या..

5– अभिदाता के नियम 2 में यथा परिभाषित 'परिवार' के सदस्यों का ब्यौरा...........

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से संबंध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लिखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित/विवाहित या विधवा थी
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

6– अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा,यदि नामांकन होः–

क्रम संख्या	नमांकिती का नाम	अभिदाता से संबंध	नामांकिती का अंश	दावे का कारण, यदि नामांकित/अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

7– किसी अवयस्क की, जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, देय धनराशि के मामले में, दावे का समर्थन, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध–पत्र या संरक्षण प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित प्रमाणित होना चाहिए ।

8– यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो, और कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट–पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा) :

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से संबंध	पता
1			
2			
3			
4			

9– दावेदार/दावेदारों का धर्म ....

10– भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से .... कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से वांछित है । इस संबंध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :–

(एक) वैयक्तिक पहचान के चिन्ह,

(दो) बाँये/दाँये हाथ के अंगुठो और अंगुलियों के निशान (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)

(तीन) नमूने के दो हस्ताक्षर , दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)।

11– मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं/देती हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करुंगा/करुंगी/करेंगे ।

भवदीय,

स्थान..

दिनांक..

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर

पूरा नाम और पता

(कार्यालय द्वारा उपयोग के लिये)

1. श्री / श्रीमती.. का भविष्य निधि लेखा संख्या................................है ।
2. वह सेवानिवृत्त हो गया है / हो गयी है / सेवानिवृत्त होगा / होगी.........................मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है / चली गयी है / उसने सरकारी सेवा से त्याग–पत्र दे दिया है और उसका त्याग–पत्र स्वीकार कर लिया गया है । उसे दिनांक .... के पूर्वान्ह/ अपरान्ह से सेवोन्मुक्त / पदच्युत कर दिया गया है ।
3. ....रुपये की अन्तिम निधि कटौती और अग्रिम की वापसी के लिये रुपये की वसूली उसके वेतन से ....कोषागार के .... रुपये के वाउचर संख्या............. दिनांक.............. .... से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न ....रुपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया ।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू वर्ष तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो में न तो कोई अस्थाई अग्रिम स्वीकृत किया गया है और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उनके भविष्य निधि लेखे में चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो के दौरान निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अग्रिम उनको स्वीकृत एवं प्रत्याहृत किये गये है–

(क) अन्तिम प्रत्याहरण

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1					
2					
3					
4					

(ख) अस्थाई अग्रिम

क्रम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1						
2						
3						
4						

5. प्रमाणित किया जाता है कि बीमा की किस्त के भुगतान के लिए चालू वर्ष और पूर्ववर्ती पांच वर्षो के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गई / निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गयी –

क्रम संख्या	प्रत्याहृत धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1					
2					
3					
4					

6. दिनांक......................(वह दिनांक जब धनराशि देय हो गयी हो)को उसकी सामान्य भविष्य निधि पासबुक में यथा अतिशेष जिसके अंतर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) भी है, ...रुपया (अंकों में).. रुपया (शब्दों में) है ।

7. प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है । अतएव ....(अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों का/के नाम) को .... रुपये (अंको में)................................ .... रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है ।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जानी हैं –

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रु0)
1		
2		
3		
4		

ऊपर वर्णित वसूलियों के मद्दे... रुपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष में से .... (अभिदाता की या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/ दावेदारों का नाम) को केवल.................................. .... रुपये (अंकों में).. .... रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है ।

8. अभिदाता की मृत्यु दिनांक .... को हुई (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।)

दिनांक ....

लेखाधिकारी के कार्यालय में सम्बद्ध
पदाधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

(लेखा अधिकारी द्वारा उपयोग के लिये)

....(अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी हो तो, दावेदार/दावेदारों का/के नाम) को ....रुपये (अंकों में) .... रुपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया ।

दिनांक ....

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर
और मुहर

परिशिष्ट "क" (नियम– 13)

प्रारूप– 1

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थाई अग्रिम लेने के लिये प्रार्थना–पत्र

1. अभिदाता का नाम ....
2. सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या ....
3. पदनाम ....
4. वेतन :– (वेतन एवं समस्त भत्तों सहित पृथक–पृथक दर्शायें, समस्त कटौतियों का विवरण दर्शायें)
   (क) कुल परिलब्धियां...
   (ख) कुल कटौतियां.......................................
5. प्रार्थना पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण :–

(1)	वर्ष ....की लेखा पर्ची/ पासबुक के अनुसार अंतिम शेष धनराशि	रु0	....
(2)	बाद में :–		
(क)	माह .... से माह...................... तक अभिदान एवं बकाया द्वारा जमा	रु0	....
(ख)	माह .... से माह........................ तक अग्रिम की वापसी द्वारा जमा	रु0	....
(3)	योग (1)+(2)	रु0	
(4)	निष्कासन –		
(क)	अन्तिम निष्कासन	रु0	....
(ख)	अस्थाई अग्रिम माह/वर्ष से माह/वर्ष तक	रु0	....
(5)	योग (मद 4)	रु0	....
(6)	(शुद्ध) जमा धनराशि (मद 3–5)	रु0	

6. पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष है, तो शेष धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन ....
   ....
7. अब मांगे जा रहे अग्रिम की धनराशि.............................(अंकों में) ....(शब्दों में)
8. क– मांगे जा रहे अग्रिम का प्रयोजन ....
   ख– जिस नियमानुसार अनुमन्य है उसका संदर्भ ....
9. समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6+7) ....रुपया तथा जितनी मासिक किस्तों में समेकित अग्रिम की धनराशि की अदायगी की जानी है उन की संख्या.........................
10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिससे प्रार्थना का औचित्य सिद्ध हो सके ....
   ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर.................................
पद का नाम ....
विभाग / अनुभाग ....

संस्तुतिकर्ता अधिकारी की संस्तुति :–

हस्ताक्षर.................................
नाम ....
पदनाम ....

APPENDIX "A"
परिशिष्ट "क" (नियम– 13)
प्रपत्र– 1
सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम लेने के लिये प्रार्थना–पत्र

1. अभिदाता का नाम ....
2. सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या ....
3. पदनाम ....
4. वेतनः– (वेतन एवं समस्त भत्तों सहित पृथक–पृथक दर्शायें, समस्त कटौतियों का विवरण दर्शायें)
   (क) कुल परिलब्धियां..
   (ख) कुल कटौतियां..
5. प्रार्थना पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरणः–

(1)		वर्ष ....की लेखा पर्ची/ पास–बुक के अनुसार अंतिम शेष धनराशि	रु0	....
(2)		बाद में:–		
	(क)	माह .... से..माह.................... तक अभिदान एवं बकाया द्वारा जमा	रु0	....
	(ख)	माह .... से माह...................... तक अग्रिम की वापसी द्वारा जमा	रु0	....
(3)		योग (1)+(2)	रु0	
(4)		निष्कासन–		
	(क)	अन्तिम निष्कासन	रु0	....
	(ख)	अस्थाई अग्रिम माह/वर्ष से माह/वर्ष तक	रु0	....
(5)		योग (मद 4)	रु0	....
(6)		(शुद्ध) जमा धनराशि (मद 3–5)	रु0	

6. पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष है, तो शेष धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन ....
   ....
7. अब मांगे जा रहे अग्रिम की धनराशि..........................(अंकों में) ....(शब्दों में)
8. क– मांगे जा रहे अग्रिम का प्रयोजन ....
   ख– जिस नियमानुसार अनुमन्य है उसका संदर्भ ....
9. समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6+7) ....रुपया तथा जितनी मासिक किस्तों में समेकित अग्रिम की धनराशि की अदायगी की जानी है उन की संख्या......................
10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिससे प्रार्थना का औचित्य सिद्ध हो सके ....
    ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर..............................
पद का नाम ....
विभाग / अनुभाग ....

संस्तुतिकर्ता अधिकारी की संस्तुतिः–

हस्ताक्षर..............................
नाम ....
पदनाम ....

परिशिष्ट " ख " (नियम – 16)

प्ररूप 1

(सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अन्तिम निस्कासन के लिये आवेदन – पत्र का प्ररूपं)

1. कार्यालय का नाम ....
2. अभिदाता का नाम ....
3. खाता संख्या विभागीय प्रत्यय (With Department prefix)..
4. पदनाम ....
5. वेतनमान .... वेतन...
6. सेवा में आने की तिथि .... अधिवार्षिकी का दिनांक ....
7. प्रार्थना पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण :–

(1)	वर्ष ....की लेखा पर्ची / पास बुक के अनुसार अंतिम शेष धनराशि	रु0	....
(2)	बाद में :–		
(क)	माह .... से माह.................... तक अभिदान एवं बकाया द्वारा जमा	रु0	....
(ख)	माह .... से माह........................ तक अग्रिम की वापसी द्वारा जमा	रु0	....
(3)	योग (1)+(2)	रु0	....
(4)	निष्कासन –		
(क)	अन्तिम निष्कासन	रु0	....
(ख)	अस्थाई अग्रिम माह / वर्ष ....से माह / वर्ष तक	रु0	....
(5)	योग (मद 4)	रु0	....
(6)	शुद्ध जमा धनराशि (मद 3–5)	रु0	....

8. अन्तिम निष्कासन (फाइनल विद्ड्राल)की अपेक्षित धनराशि ....
9. क– अन्तिम निष्कासन(फाइनल विद्ड्राल)का प्रयोजन ....
   ख– नियम / राजाज्ञा संख्या जिसके / जिनके अंतर्गत प्रार्थना की गयी है................................ ....
10. क्या इसी प्रयोजन के लिए इससे पूर्व भी कोई अन्तिम निष्कासन (फाइनल विद्ड्रॉल)लिया गया था, यदि हॉ तो धनराशि और वर्ष बतायें ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर..................................
पद का नाम ....,
विभाग / अनुभाग ....

संस्तुतिकर्ता अधिकारी की संस्तुति :–

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....

APPENDIX "B"
परिशिष्ट " ख " (नियम – 16)

प्रारूप 1

(सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम निष्कासन के लिये आवेदन – पत्र का प्रारूप)

1. कार्यालय का नाम ....

2. अभिदाता का नाम ....

3. खाता संख्या विभागीय प्रत्यय (With Department pirfix)..

4. पदनाम ....

5. वेतनमान .... वेतन...

6. सेवा में आने की तिथि .... अधिवार्षिकी का दिनांक ....

7. प्रार्थना पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण :–

(1)	वर्ष ....की लेखा पर्ची/ पासबुक के अनुसार अंतिम शेष धनराशि	रु0	....
(2)	बाद में :–		
(क)	माह .... से माह.................. तक अभिदान एंव बकाया द्वारा जमा	रु0	....
(ख)	माह .... से माह...................... तक अग्रिम की वापसी द्वारा जमा	रु0	....
(3)	योग (1)+(2)	रु0	....
(4)	निष्कासन –		
(क)	अन्तिम निष्कासन	रु0	....
(ख)	अस्थाई अग्रिम माह/वर्ष ....से माह/वर्ष तक	रु0	....
(5)	योग (मद 4)	रु0	....
(6)	शुद्ध जमा धनराशि (मद 3–5)	रु0	....

8. अन्तिम निष्कासन (फाइनल विद्ड्राल)की अपेक्षित धनराशि ....

9. क– अन्तिम निष्कासन(फाइनल विद्ड्राल)का प्रयोजन ....
   ख– नियम/राजाज्ञा संख्या जिसके/जिनके अंतर्गत प्रार्थना की गयी है.............................. ......

10. क्या इसी प्रयोजन के लिए इससे पूर्व भी कोई अन्तिम निष्कासन (फाइनल विद्ड्रॉल)लिया गया था, यदि हाँ तो धनराशि और वर्ष बतायें ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर...............................
पद का नाम ....
विभाग / अनुभाग ....

संस्तुतिकर्ता अधिकारी की संस्तुति :–

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....

परिशिष्ट "क"

प्ररूप–2

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थाई अग्रिम स्वीकृति प्ररूप (कार्यालय आदेश)

एतदद्वारा श्री / श्रीमती / कु0.. को उनके सा0 भवि0 नि0 खाता संख्या.. .... से स्वंय के .... के प्रयोजन के लिये खर्च की व्यवस्था करने हेतु रुपया..................... .... (अंकों में)..................................(शब्दों में) के अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति सा0भवि0नि0 नियमावली के नियम............. के अंतर्गत प्रदान की जाती है ।

2. पूर्व में राजाज्ञा संख्या.. द्वारा लिये गये अग्रिम का शेष रुपया............ एवं अब स्वीकृत की जा रही रुपया.. (अंकों मे)............................. (शब्दों मे) कुल समेकित धनराशि रुपया................................ (अंकों मे).. (शब्दों मे).की वसूली ....मासिक किस्तों में रुपया .... प्रतिमाह की दर से की जायेगी । जिसकी पहली किस्त माह .... के वेतन जो माह .... में देय होगा से प्रारम्भ होगी ।

3. श्री / श्रीमती / कु0.. के खाते में स्वीकृति के दिनांक को जमा धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(1)	वर्ष ....की लेखा पर्ची/पासबुक के अनुसार जमा अंतिम शेष धनराशि	रु0	....
(2)	बाद में :–		
(क)	माह .... से.माह...................... तक अभिदान एवं बकाया द्वारा जमा	रु0	....
(ख)	माह .... से माह .... तक पूर्व स्वीकृत अग्रिम की वापसी द्वारा जमा	रु0	....
(3)	योग (1)+(2)	रु0	
(4)	निष्कासन –		
(क)	अन्तिम निष्कासन	रु0	....
(ख)	अस्थाई अग्रिम	रु0	....
(5)	योग (मद 4)	रु0	....
(6)	शुद्ध जमा धनराशि (मद 3–5)	रु0	

हस्ताक्षर एवं मुहर
(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

संख्या व दिनांक उक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
(2) आहरण एवं वितरण अधिकारी, ... ।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी , ... ।
(4) सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी ।

हस्ताक्षर एवं मुहर
(स्वीकृति देने वाला अधिकारी

परिशिष्ट "क"

प्ररूप–2

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थाई अग्रिम स्वीकृति प्ररूप (कार्यालय आदेश)

एतदद्वारा श्री / श्रीमती / कु0.. को उनके सा0 भवि0 नि0 खाता संख्या.. .... से स्वंय के .... के प्रयोजन के लिये खर्च की व्यवस्था करने हेतु रुपया..................... .... (अंकों में)..................................(शब्दों में) के अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति सा0भवि0नि0 नियमावली के नियम.............. के अंतर्गत प्रदान की जाती है ।

2. पूर्व में राजाज्ञा संख्या.. द्वारा लिये गये अग्रिम का शेष रुपया............ एवं अब स्वीकृत की जा रही रुपया.. (अंकों में)................................ (शब्दों में) कुल समेकित धनराशि रुपया.................................. (अंकों में).. (शब्दों में).की वसूली ....मासिक किस्तों में रुपया .... प्रतिमाह की दर से की जायेगी । जिसकी पहली किस्त माह .... के वेतन जो माह .... में देय होगा से प्रारम्भ होगी ।

3. श्री / श्रीमती / कु0... के खाते में स्वीकृति के दिनांक को जमा धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(1)	वर्ष ....की लेखा पर्ची/पासबुक के अनुसार जमा अंतिम शेष धनराशि	रु0	....
(2)	बाद में :–		
(क)	माह .... से.माह......................... तक अभिदान एवं बकाया द्वारा जमा	रु0	....
(ख)	माह .... से माह .... तक पूर्व स्वीकृत अग्रिम की वापसी द्वारा जमा	रु0	....
(3)	योग (1)+(2)	रु0	
(4)	निष्कासन –		
(क)	अन्तिम निष्कासन	रु0	....
(ख)	अस्थाई अग्रिम	रु0	....
(5)	योग (मद 4)	रु0	....
(6)	शुद्ध जमा धनराशि (मद 3–5)	रु0	

हस्ताक्षर एवं मुहर
(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

संख्या व दिनांक उक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
(2) आहरण एवं वितरण अधिकारी, ... ।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी , ... ।
(4) सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी ।

हस्ताक्षर एवं मुहर
(स्वीकृति देने वाला अधिकारी

परिशिष्ट " ख "

प्ररूप (2)

(कार्यालय आदेश)

एतदद्वारा श्री / श्रीमती / कु0.. को उनके सा0 भवि0 नि0 खाता संख्या– ....से .... के प्रयोजन के लिये खर्च की व्यवस्था करने हेतु रुपया... (अंकों में)................................... रुपया (शब्दों में) का अन्तिम निष्कासन भविष्य निधि नियम संख्या–16 .... के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

2– अन्तिम निष्कासन की धनराशि नियम–17 में निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक नहीं होगी। मूल नियम (फण्डामेन्टल रूल) में यथा परिभाषित उनका मूल वेतन रु0 .... है ।

3– यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0.. ने अपनी सरकारी सेवा के .... वर्ष पूरे कर लिये है। .... वर्ष में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगे।

4– स्वीकृति की तिथि को श्री / श्रीमती / कु0.. के खाते में पासबुक के अनुसार जमा अवशेष राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

(1)	वर्ष ....की लेखा पर्ची / पासबुक के अनुसार अंतिम शेष धनराशि	रु0	....
(2)	बाद में :–		
(क)	माह ....से.माह..................... तक अभिदान एंव बकाया द्वारा जमा	रु0	....
(ख)	माह .... से माह................तक अग्रिम की वापसी द्वारा जमा	रु0	....
(3)	योग (1)+(2)	रु0	....
(4)	निष्कासन –		
(क)	अन्तिम निष्कासन	रु0	....
(ख)	अस्थाई अग्रिम	रु0	....
(5)	योग (मद 4)	रु0	....
(6)	(शुद्ध) जमा धनराशि (मद 3–5)	रु0	....

हस्ताक्षर एंव मुहर ।
(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री / श्रीमती / कु0.............को उनका ध्यान नियमों / समय–समय पर जारी शासनादेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिनके अनुसार यह समाधान करना होगा कि स्वीकृत धन का उपयोग उन्होंने उसी प्रयोजन के लिये किया है जिसके लिये वह निकाला गया है। अतः निष्कासन की धनराशि प्राप्त करने के तीन माह के भीतर वे इस आशय का प्रमाण पत्र देगें कि ऊपर स्वीकृत निष्कासन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया था,अन्यथा स्वीकृत धनराशि एक मुश्त जमा करनी होगी ।

2– महालेखाकार, (लेखा एंव हकदारी) उत्तरांचल, ओबराय मोर्टस बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अन्तिम निष्कासन की धनराशि को वर्ष .... में श्री / श्रीमती / कु0......... ....के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या .... के ऋण पक्ष में घटा दें।

3– वरिष्ठ कोषाधिकारी .... ।

4– आहरण एंव वितरण अधिकारी ....।

हस्ताक्षर एंव मुहर ।
(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

परिशिष्ट " ख "

प्ररूप (2)

(कार्यालय आदेश)

एतदद्वारा श्री / श्रीमती / कु0.. को उनके सा0 भवि0 नि0 खाता संख्या– ....से .... के प्रयोजन के लिये खर्च की व्यवस्था करने हेतु रुपया.................................. (अंकों में).............................. रुपया (शब्दों में) का अन्तिम निष्कासन भविष्य निधि नियम संख्या–16 .... के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

2– अन्तिम निष्कासन की धनराशि नियम–17 में निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक नहीं होगी। मूल नियम (फण्डामेन्टल रूल) में यथा परिभाषित उनका मूल वेतन रु0 .... है ।

3– यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0.. ने अपनी सरकारी सेवा के .... वर्ष पूरे कर लिये है। .... वर्ष में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगे।

4– स्वीकृति की तिथि को श्री / श्रीमती / कु0.. के खाते में पासबुक के अनुसार जमा अवशेष राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

(1)	वर्ष ....की लेखा पर्ची/ पासबुक के अनुसार अंतिम शेष धनराशि	रु0	....
(2)	बाद में :–		
(क)	माह ....से माह...................... तक अभिदान एंव बकाया द्वारा जमा	रु0	....
(ख)	माह .... से माह..............तक अग्रिम की वापसी द्वारा जमा	रु0	....
(3)	योग (1)+(2)	रु0	....
(4)	निष्कासन –		
(क)	अन्तिम निष्कासन	रु0	....
(ख)	अस्थाई अग्रिम	रु0	....
(5)	योग (मद 4)	रु0	....
(6)	(शुद्ध) जमा धनराशि (मद 3–5)	रु0	....

हस्ताक्षर एंव मुहर ।
(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

<u>पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री / श्रीमती / कु0............को उनका ध्यान नियमों / समय–समय पर जारी शासनादेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिनके अनुसार यह समाधान करना होगा कि स्वीकृत धन का उपयोग उन्होंने उसी प्रयोजन के लिये किया है जिसके लिये वह निकाला गया है। अतः निष्कासन की धनराशि प्राप्त करने के तीन माह के भीतर वे इस आशय का प्रमाण पत्र देगें कि ऊपर स्वीकृत निष्कासन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया था,अन्यथा स्वीकृत धनराशि एक मुश्त जमा करनी होगी ।

2– महालेखाकार, (लेखा एंव हकदारी) उत्तरांचल, ओबराय मोर्टस बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, मांजरा, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अन्तिम निष्कासन की धनराशि को वर्ष .... में श्री / श्रीमती / कु0.......... ....के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या .... के ऋण पक्ष में घटा दें।

3– वरिष्ठ कोषाधिकारी .... ।

4– आहरण एंव वितरण अधिकारी .... ।

हस्ताक्षर एंव मुहर ।
(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

परिशिष्ट " ग "

(नियम 24 (5)(ख)

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान का स्वीकृति प्ररूप

पत्रांक............................,.........

प्रेषक,

....

....

....

(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)।

सेवा में,

....

....

....

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)।

दिनांक: ....

विषयः– **श्री / श्रीमती / कु0 ....(अभिदाता का नाम)...............................(पदनाम) के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या .... में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत का भुगतान ।**

महोदय,

में उपर्युक्त अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि के खाता संख्या .... में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र (प्रपत्र 425 क / ख) दिनांक .... को संलग्न कर रहा हूँ , जिस पर मेरे द्वारा रुपया.. (अंकों में)..................................(शब्दों में) का भुगतान श्री / श्रीमती / कु0 ....(अभिदाता का, और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो, तो दावेदार का नाम) को किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिये गये है । आपको एतद्द्वारा उपर्युक्त धनराशि को सम्बन्धित व्यक्ति को अविलम्ब भुगतान की व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है । इस संबंध में कृपया अपनी अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें ।

2. शेष धनराशि के भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र,आगणन शीट्स तथा अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक मूल रूप में महालेखाकार,उत्तरांचल, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक:–उक्तानुसार मूल में ।

भवदीय,

हस्ताक्षर एवं मुहर ।

(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

<u>पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल देहरादून

(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी, ... ।

(3) ....(जांच करने वाले विभागीय लेखाधिकारी)।

(4) ....(अभिदाता का नाम और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो दावेदार का नाम और पता)।

हस्ताक्षर एवं मुहर (स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

परिशिष्ट " ग "

(नियम 24 (5)(ख)

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान का स्वीकृति प्ररूप

पत्रांक...

प्रेषक,

....

....

....

(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)।

सेवा में,

....

....

....

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)।

दिनांकः ....

विषयः– **श्री / श्रीमती / कु0 ....(अभिदाता का नाम)..............................(पदनाम) के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या .... में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत का भुगतान ।**

महोदय,

में उपर्युक्त अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि के खाता संख्या .... में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र (प्रपत्र 425 क / ख) दिनांक .... को संलग्न कर रहा हूँ , जिस पर मेरे द्वारा रुपया..................................... (अंकों में)..................................(शब्दों में) का भुगतान श्री / श्रीमती / कु0 ....(अभिदाता का, और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो, तो दावेदार का नाम) को किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिये गये है । आपको एतद्द्वारा उपर्युक्त धनराशि को सम्बन्धित व्यक्ति को अविलम्ब भुगतान की व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है । इस संबंध में कृपया अपनी अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें ।

2. शेष धनराशि के भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र,आगणन शीट्स तथा अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक मूल रूप में महालेखाकार,उत्तरांचल, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नकः–उक्तानुसार मूल में ।

भवदीय,

हस्ताक्षर एवं मुहर ।

(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

<u>पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल देहरादून

(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी, ... ।

(3) ....(जांच करने वाले विभागीय लेखाधिकारी)।

(4) ....(अभिदाता का नाम और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो दावेदार का नाम और पता)।

हस्ताक्षर एवं मुहर (स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

परिशिष्ट " घ "

(नियम – 23) राज्य सरकार का निर्णय – 2

प्ररूप ग–1

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

सेवाकाल में किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में औसत जमा अवशेष के आधार पर धनराशि प्राप्त करने का आवेदन पत्र जिसका प्रयोग नामितों द्वारा या यदि कोई नामांकन न हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा किया जायेगा ।

सेवा में,

....

....

....

महोदय,

अनुरोध है कि स्वर्गीय श्री / श्रीमती / कुमारी.. के सामान्य भविष्य निधि खाते में उनकी मृत्यु माह / दिनांक .... के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में जो औसत जमा धनराशि अवशेष रही है , कृपया उसके बराबर बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का प्रबन्ध करें। इस संबंध में अपेक्षित विवरण निम्नवत् है :–

1. सरकारी कर्मचारी का नाम :–
2. जन्म तिथि :–
3. सेवा प्रारम्भ का दिनांक :–
4. पदनाम जिस पर कार्यरत था :–
5. क्या पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है :–
6. मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में कर्मचारी के सा0भ0निधि खाते में औसत जमा और शासनादेशानुसार निर्धारित न्यूनतम अवशेष को देखते हुये प्रार्थी बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि पाने का पात्र है अथवा नहीं :– हां / नहीं
7. मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न :– हां / नहीं
8. मृत्यु का दिनांक :–
9. सा0भ0निधि खाता संख्या :–
10. अभिदाता के नाम उसकी मृत्यु के माह से पूर्ववर्ती तीन वर्षो में औसत जमा सामान्य भविष्य निधि की धनराशि, यदि ज्ञात हो :–रु0..
11. यदि कोई नामांकन हो तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामितों का ब्यौरा :–
12.

क्र0 स0	नामित का नाम	अभिदाता से संबंध	नामित का हिस्सा
1	2	3	4

परिशिष्ट " घ "

(नियम – 23) राज्य सरकार का निर्णय – 2

प्ररूप ग–1

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

सेवाकाल में किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में औसत जमा अवशेष के आधार पर धनराशि प्राप्त करने का आवेदन पत्र जिसका प्रयोग नामितों द्वारा या यदि कोई नामांकन न हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा किया जायेगा ।

सेवा में,

....

....

....

महोदय,

अनुरोध है कि स्वर्गीय श्री / श्रीमती / कुमारी.. के सामान्य भविष्य निधि खाते में उनकी मृत्यु माह / दिनांक .... के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में जो औसत जमा धनराशि अवशेष रही है , कृपया उसके बराबर बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का प्रबन्ध करें। इस संबंध में अपेक्षित विवरण निम्नवत् है :–

1. सरकारी कर्मचारी का नाम :–
2. जन्म तिथि :–
3. सेवा प्रारम्भ का दिनांक :–
4. पदनाम जिस पर कार्यरत था :–
5. क्या पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है :–
6. मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में कर्मचारी के सा0भ0निधि खाते में औसत जमा और शासनादेशानुसार निर्धारित न्यूनतम अवशेष को देखते हुये प्रार्थी बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि पाने का पात्र है अथवा नहीं :– हां / नहीं
7. मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न :– हां / नहीं
8. मृत्यु का दिनांक :–
9. सा0भ0निधि खाता संख्या :–
10. अभिदाता के नाम उसकी मृत्यु के माह से पूर्ववर्ती तीन वर्षो में औसत जमा सामान्य भविष्य निधि की धनराशि, यदि ज्ञात हो :–रु0..
11. यदि कोई नामांकन हो तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामितों का ब्यौरा :–
12.

क्र0 सं0	नामित का नाम	अभिदाता से संबंध	नामित का हिस्सा
1	2	3	4

12. उस दशा में परिवार का ब्यौरा जब की नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो जो परिवार का सदस्य न हो, परन्तु अभिदाता ने बाद में परिवार बना लिया हो :–

क्र0 सं0	नामित का नाम	अभिदाता से संबंध	नामित का हिस्सा
1	2	3	4

13. यदि कोई नामांकन न हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों का ब्यौरा दिया जाय । यदि अभिदाता की कोई पुत्री या अभिदाता के किसी मृत पुत्र की पुत्री हो और उसका विवाह अभिदाता की मृत्यु के पूर्व हो गया हो तब उसके नाम के सामने यह लिख देना चाहिये कि क्या उसका पति अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर जीवित था :–

क्र0 सं0	नाम	अभिदाता से संबंध	मृत्यु के दिनांक पर आयु
1	2	3	4

14. उस दशा में जब कि ऐसे अवयस्क पुत्र/पुत्री को जिसकी मां (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, धनराशि देय हो, तो दावे का भुगतान, यथा स्थिति क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र या अभिभावक प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना चाहिये ।

15. यदि अभिदाता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है, और कोई नामांकन न हो तो उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें सामान्य भविष्य निधि की धनराशि देय हो, इसका समर्थन सप्रमाण–पत्रों (लेटर्स आफॅ प्रोबेट) या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि द्वारा किया जाना चाहिये :–

क्र0 सं0	नामित का नाम	अभिदाता से संबंध	नामित का हिस्सा
1	2	3	4

16. दावेदार (दावेदारों) का धर्म :–

17. भुगतान.. के कार्यालय के जरिये कोषागार .... के जरिये चाहते है । इस संबंध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट द्वारा यथावत प्रमाणित निम्नलिखित अभिलेख संलग्न है :–

1. पहचान के वैयक्तिक चिन्ह ' ।
2. बाये / दांये हाथ के अंगुठे और उंगलियों की छाप (निरक्षर दावेदारों की दशा में)।
3. नमूने के हस्ताक्षर की दो प्रतियां (साक्षर दावेदारों की दशा में) ।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय,

(दावेदार का नाम पता व हस्ताक्षर)

12. उस दशा में परिवार का ब्यौरा जब की नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो जो परिवार का सदस्य न हो, परन्तु अभिदाता ने बाद में परिवार बना लिया हो :–

क्र0 सं0	नामित का नाम	अभिदाता से संबंध	नामित का हिस्सा
1	2	3	4

13. यदि कोई नामांकन न हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों का ब्यौरा दिया जाय । यदि अभिदाता की कोई पुत्री या अभिदाता के किसी मृत पुत्र की पुत्री हो और उसका विवाह अभिदाता की मृत्यु के पूर्व हो गया हो तब उसके नाम के सामने यह लिख देना चाहिये कि क्या उसका पति अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर जीवित था :–

क्र0 सं0	नाम	अभिदाता से संबंध	मृत्यु के दिनांक पर आयु
1	2	3	4

14. उस दशा में जब कि ऐसे अवयस्क पुत्र/पुत्री को जिसकी मां (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, धनराशि देय हो, तो दावे का भुगतान, यथा स्थिति क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र या अभिभावक प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना चाहिये ।

15. यदि अभिदाता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है, और कोई नामांकन न हो तो उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें सामान्य भविष्य निधि की धनराशि देय हो, इसका समर्थन सप्रमाण–पत्रों (लेटर्स आर्फ प्रोबेट) या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि द्वारा किया जाना चाहिये :–

क्र0 सं0	नामित का नाम	अभिदाता से संबंध	नामित का हिस्सा
1	2	3	4

16. दावेदार (दावेदारों) का धर्म :–

17. भुगतान... के कार्यालय के जरिये कोषागार .... के जरिये चाहते है । इस संबंध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट द्वारा यथावत प्रमाणित निम्नलिखित अभिलेख संलग्न है :–

1. पहचान के वैयक्तिक चिन्ह ' ।
2. बांये / दांये हाथ के अंगुठे और उंगलियों की छाप (निरक्षर दावेदारों की दशा में)।
3. नमूने के हस्ताक्षर की दो प्रतियां (साक्षर दावेदारों की दशा मे) ।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय,

(दावेदार का नाम पता व हस्ताक्षर)

(कार्यालय/विभागाध्यक्ष के प्रयोग के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.. के भविष्य निधि लेखे की संख्या (जैसे वह उसे भेजे गये वार्षिक विवरण पत्रों से सत्यापित की गयी है).. है ।

2. उसकी मृत्यु दिनांक .... को हुई । नगरपालिका / ग्राम प्रधान / तहसीलदार द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है । / इस मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मृत्यु के बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

3. उसके .... महीने (सेवाकाल का अन्तिम मास लिखा जाना चाहिये) के वेतन से, जो इस कार्यालय के देयक (बिल संख्या...................... दिनांक ....) के द्वारा निकाला गया है, अभिदान की अन्तिम कटौती रू0 .... (अंकों में)...(शब्दों में)की गयी जिसके .... कोषागार के नगदी प्रमाणक (कैश वाउचर) संख्या .... में कटौती की धनराशि रू0 .... थी और अग्रिम धन की वापसी की वसूली रू0.. थी ।

4– प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में न तो उसे अस्थाई अग्रिम धन स्वीकृत किया गया था और न उसे उसके भविष्य निधि लेखे से अन्तिम रूप से कोई धनराशि निकालने की स्वीकृति दी गयी थी।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम तथा / अथवा निष्कासन के रूप में धनराशियां निकालने के लिए स्वीकृति दी गयी थी और वे निकाल ली गयीं थी ।

क्र0 सं0	अग्रिम / अन्तिम निष्कासन	निकाली जाने वाली धनराशियां	चुकता किये जाने का (इन्कैशमेन्ट) दिनांक और स्थान	प्रमाणक संख्या

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसके भविष्य निधि खाते से वित्त पोषित जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान हेत उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में उसकी भविष्य निधि लेखे से कोई धनराशि नहीं निकाली गयी थी / निम्नलिखित धनराशियां निकाली गयी थी:–

क्र0 सं0	पॉलिसी संख्या और कम्पनी का नाम	धनराशि	दिनांक	प्रमाणक संख्या

6. प्रमाणित किया जाता है कि वसूली के लिये देय सरकार की कोई मांगे नहीं है / निम्नलिखित मांगे है ।

कार्यालयाध्यक्ष । विभागाध्यक्ष।

' यह केवल उसी समय लागू होगा जबकि भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चाहा गया हो ।

(कार्यालय / विभागाध्यक्ष के प्रयोग के लिये)

श्री / श्रीमती / कुमारी.. के भविष्य निधि लेखे की संख्या (जैसे वह उसे भेजे गये वार्षिक विवरण पत्रों से सत्यापित की गयी है).. है ।

2. उसकी मृत्यु दिनांक .... को हुई । नगरपालिका / ग्राम प्रधान / तहसीलदार द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है । / इस मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मृत्यु के बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

3. उसके .... महीने (सेवाकाल का अन्तिम मास लिखा जाना चाहिये) के वेतन से, जो इस कार्यालय के देयक (बिल संख्या.................... दिनांक ....) के द्वारा निकाला गया है, अभिदान की अन्तिम कटौती रु0 .... (अंकों में)...(शब्दों में)की गयी जिसके .... कोषागार के नगदी प्रमाणक (कैश वाउचर) संख्या .... में कटौती की धनराशि रु0 .... थी और अग्रिम धन की वापसी की वसूली रु0.. .... थी ।

4– प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में न तो उसे अस्थाई अग्रिम धन स्वीकृत किया गया था और न उसे उसके भविष्य निधि लेखे से अन्तिम रूप से कोई धनराशि निकालने की स्वीकृति दी गयी थी।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम तथा / अथवा निष्कासन के रूप में धनराशियां निकालने के लिए स्वीकृति दी गयी थी और वे निकाल ली गयीं थी ।

क्र0 सं0	अग्रिम / अन्तिम निष्कासन	निकाली जाने वाली धनराशियां	चुकता किये जाने का (इन्कैशमेन्ट) दिनांक और स्थान	प्रमाणक संख्या

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसके भविष्य निधि खाते से वित्त पोषित जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान हेत उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में उसकी भविष्य निधि लेखे से कोई धनराशि नहीं निकाली गयी थी / निम्नलिखित धनराशियां निकाली गयी थी:–

क्र0 सं0	पॉलिसी संख्या और कम्पनी का नाम	धनराशि	दिनांक	प्रमाणक संख्या

6. प्रमाणित किया जाता है कि वसूली के लिये देय सरकार की कोई मांगे नहीं है / निम्नलिखित मांगे है ।

कार्यालयाध्यक्ष । विभागाध्यक्ष।

' यह केवल उसी समय लागू होगा जबकि भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चाहा गया हो ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 वित्त / 720–10–03–2006– 1,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7

संख्या– 104/XXVII(7)7/2017

देहरादून : दिनांक 26 मई, 2017

अधिसूचना संख्या– 73/XXVII(7)7/2017 दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– 73/XXVII(7)7/2017
देहरादून : दिनांक 26 मई, 2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) इस नियमावली में जहां–जहां शब्द ''उत्तरांचल'' उल्लिखित है उसके स्थान पर शब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जाय।

मूल नियमावली, 2006 के नियम–2 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–2(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– (क) ऐसे समूह ''घ'' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, ''लेखा अधिकारी'' से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;	**(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– लेखा अधिकारी का तात्पर्य, समूह 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखे का अनुरक्षण करने वाला अधिकारी;**

नियम–2 (ग) (तीन) का संशोधन।	3. मूल नियमावली के नियम–2 के खण्ड (ग) के प्रस्तर–(तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित भाई और बहन।	(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित माता–पिता, अविवाहित भाई और बहन।
नियम–13(2)(तीन) का संशोधन।	4. मूल नियमावली के नियम–13(2)(तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्ध कर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रूढ़िगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के सम्बन्ध में भी उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृह कर्म के सम्बन्ध में उपगत करना हो।	(तीन) अभिदाता के परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि, जनेऊ संस्कार या अन्य धार्मिक एवं गृह कर्म के व्यय हेतु।
नियम–13(4)(एक) का संशोधन।	5. मूल नियमावली के नियम–13(4)(एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा या	अभिदाता के छः मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।
नियम–16 (1) (अ) का संशोधन।	6. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (अ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्:	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थातः

नियम–16 (1) (अ) (क) का संशोधन।	7. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (अ) (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

निम्नलिखित मामलों में: (एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा और (दो) हाईस्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।	(एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक, व्यवसायिक, चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या उस पर आश्रित परिवार के सदस्य की उच्चतर शिक्षा हेतु।

नियम–16(1)(ब) का संशोधन।	8. मूल नियमावली के नियम–16(1)(ब) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साईकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत वेतन के सम्बन्ध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात्;	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, दुपाहिया अथवा चौपाहिया वाहन के क्रय/व्यापक मरम्मत, कम्प्यूटर लैपटॉप अथवा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण अथवा पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिये।

9. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (ब) (एक) व (दो) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

नियम–16(1)(स) का संशोधन	10. मूल नियमावली के नियम–16(1)(स) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करनेके पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्; (क) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है; (ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (ग) उसके आवास के लिए, मकान बनाने के लिए भूमि क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये; (ड.) पैतृक गृह का पुनरूद्वार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,	**अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्;** **(क) भूमि/भवन/फ्लैट के क्रय/अर्जन अथवा पैतृक गृह अथवा स्वयं के मकान बनाने/मरम्मत/पुनरूद्वार के लिये अथवा उक्त हेतु लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये।**
(च) उप खण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थान पर मकान बनाने के लिये,	

नियम–17(1) का संशोधन।	**11. मूल नियमावली के नियम–17(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्**

किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उदेश्य जिसके	**नियम 16 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि खाते में जमा धनराशि के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।**

लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है: परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उप खण्ड (घ) और (ड) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।	

12. मूल नियमावली के नियम 17 की टिप्पणी–1, टिप्पणी–2(क), टिप्पणी–2(ख), टिप्पणी–2(ग) व टिप्पणी–4 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

13. मूल नियमावली के नियम 19 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

नियम–23 का संशोधन।

14. मूल नियमावली के नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी और अन्य मामलों विभागाध्यक्ष निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा। (1) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो– (क) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये या अधिक हो के मामले में 30,000 रूपये, (दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो	**सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष, जो भी स्थिति हो, अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अथवा रू0 30,000 जो भी कम हो, अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा।**

जिसके वेतनमान का अधिकतम 9,000 रूपये या अधिक किन्तु 13, 500 रूपये से कम हो, के मामले में 27,000 रूपया, (तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 4,000 रूपये या इससे अधिक किन्तु 9,000 रूपये से कम हो, के मामले में 12,000 रूपया, (चार) (क) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रूपये से कम हो, के मामले में 10,000 रूपया; (ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रूपये से अधिक नहीं होगी; (ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	

नियम–24 के उप नियम (4) व (5) का संशोधन।	**15. मूल नियमावली के नियम–24 के उप नियम (4) व (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्**

(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप–425(ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।	**(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।**
(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425(क) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे	**(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ**

का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट ''ग'' में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।	विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले **वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट ''ग'' में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।**
(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्ररूप 425 (क) या 425 (ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।	**(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्रारूप 425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी महालेखाकार द्वारा जारी अध्यावधिक जी0पी0एफ0 वार्षिक लेखा पर्ची से लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।**

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)

प्रमुख सचिव।

(नियम 24)

प्रारूप–425

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

____

____

____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

में सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं। .... मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूं/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुकी हूं और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक .... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूं।

2– मैं अनुरोध करता/करती हूं के मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या......................... है तथा मेरा यूनिक इम्पलॉयमेंट कोड सख्या....................................है।

3– मैं वचन देता/देती हूं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग–दो के अनुसार अनुमन्य) धनराशि के भुगतान से या उपादान से न किया गया हो तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूंगा/दूंगी।

स्थान........................

दिनांक......................

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम और पता

भाग– दो

सामान्य भविष्य निधि, लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी एक/दो,
उत्तरांचल, देहरादू।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं.....................मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूं/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूं और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक .... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूं।

2– मै अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या....................... में अपने जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उर्पयुक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं एतदद्वारा अनुरोध करता/करती हूं कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से करा दिया जाय।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम और पता

भाग–तीन

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप।

(नामांकितियों द्वारा या यदि कोई नामांकन ना हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु)

सेवा में,

....
....
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती... के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैः–

1– सरकारी सेवक का नाम..

2– सरकारी सेवक द्वारा धृत पद..

3– मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए).........................

4– मृत अभिदाता का भविष्य निधि लेखा संख्या... तथा यूनिक इम्पलायेमेंट कोड सख्या...है।

5– अभिदाता के नियम–2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा:–

कम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लेखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी
1	2	3	4	5

6– अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा, यदि नामांकन हो:–

कम संख्या	नामांकिती का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामांकिती का अंश	दावा का कारण यदि नामांकित अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

7– किसी अवयस्क की देय धनराशि के मामले में दावे का समर्थन यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध पत्र या संरक्षण प्रमाण पत्र द्वारा किया जाना चाहिये।

8– यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और, कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट–पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा)

कम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	पता
1			
2			
3			
4			

9– भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/.................................... कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः–

एक– वैयक्तिक पहचान के चिन्ह–

दो– बांये/दांये हाथ का अंगुठे और अंगुलियों के निशासन (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)

तीन– नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)

10– मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है। तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

भाग–चार

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप
(नामाकितियों द्वारा यदि कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एक/दो
उत्तरांचल देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने/हम लोगों ने श्री/श्रीमती............................ के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या.......................... में अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी.......................... कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जाय।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)

1— श्री/श्रीमती.................................... का भविष्य निधि लेखा संख्या................................. हैं।

2— वह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवानिवृत्त होगा/होगी .... मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/ उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया हैं, और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसे दिनांक .... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।

3— ....रूपये की अन्तिम कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए रूपये की वसूली उसके वेतन से ....कोषागार के ....वाउचर संख्या..........................दिनांक ....से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न ....रूपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया।

4— प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू वर्ष तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थाई अग्रिम स्वीकृत किया गया है और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अंतिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अंतिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उनके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

(क)— **अंतिम प्रत्याहरण—**

कम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1					
2					
3					
4					

(ख)— **अस्थायी अग्रिमः—**

कम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1						
2						
3						
4						

5— दिनांक .... (वह दिनांक जब धनराशि देय हो चुकी हो) को उसकी सामान्य भविष्य निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और (बोनस यदि कोई हो) भी है, संलग्न परिकलन शीट के अनुसार ....रूपये (अंकों में) .... रूपया (शब्दों में).............................. है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत ....रूपया होता है।

6– प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है। अतएव ... . रूपये (अंको में) ....रूपये शब्दों में जो अभिदाता की समान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष का 90 प्रतिशत है का भुगतान ....
अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों के नाम को करने की संस्तुति की जाती है।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जाती है।

कम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रू0)
1		
2		
3		
4		

ऊपर वर्णित वसूलियों के मद्दे..........................रूपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के समान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से ....(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गई हे तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को.....................................रूपये (अंको में)...
......रूपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8– अभिदाता की मृत्यु दिनांक ....को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

9– परिकलन शीट (तीन प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित .... को अग्रसारित।

दिनांक .... आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1– प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जांच कर ली है, जो सही है

2– ....रूपये (अंकों में) .... रूपये (शब्दों में) के

3– ....(स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित।

दिनांक .... जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1– ....(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को ....रूपये (अंकों में) ....रूपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

2– शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पासबुक महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को अग्रसारित की गयी। सामान्य भविष्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापव की जाय।

दिनांक .... स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो कम संख्या 8 के विरूद्ध सूचना प्रस्तुत की

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनुभाग—7

संख्या—1/268168/2025/XXVII(7)/25-E-51521/2023

देहरादून : दिनांक 15, जनवरी, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 'उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 (यथासंशोधित वर्ष 2017) में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

मूल नियमावली, 2006 के नियम—8(1) एवं 8(4) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 (यथासंशोधित वर्ष 2017) (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम—8 (1) एवं 8 (4) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(1)अभिदान की धनराशि अभिदाता द्वारा स्वयं इस शर्त के अधीन रहते हुऐ निर्धारित की जायेगी कि धनराशि 10 प्रतिशत से कम और उसके मूल वेतन की धनराशि से अधिक नहीं होगी और पूर्ण रूपयों में व्यक्त की जायेगी। यदि किसी नियमावली /शासनादेश में मूल वेतन की जगह परिलब्धियॉ परिभाषित हों तब तद्नुसार कार्यवाही की जाय। वित्तीय नियम खण्ड पांच भाग—1 के नियम—81 के उपनियम—(3) के अनुसार "सम्पूर्ण कटौतियॉ एक तिहाई भाग की दर से अधिक नहीं हो सकेगी" का भी ध्यान रखा जाय।	8(1) अभिदान की धनराशि अभिदाता द्वारा स्वयं इस शर्त के अधीन रहते हुए निर्धारित की जायेगी कि धनराशि मूल वेतन के 10 प्रतिशत से कम और उसके मूल वेतन की धनराशि से अधिक नहीं होगी और पूर्ण रूपयों में व्यक्त की जायेगी। यदि किसी नियमावली/ शासनादेश में मूल वेतन की जगह परिलब्धियॉ परिभाषित हों तब तद्नुसार कार्यवाही की जाय। वित्तीय नियम खण्ड पांच भाग—1 के नियम—81 के उपनियम—(3) के अनुसार "सम्पूर्ण कटौतियॉ एक तिहाई भाग की दर से अधिक नहीं हो सकेगी" का भी ध्यान रखा जाय। परन्तु यह भी कि किसी वित्तीय वर्ष में अभिदान की धनराशि उस वर्ष

में जमा की गयी बकाया अंशदान और वसूल किये गये ब्याज की रकम सहित रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) से अधिक नहीं होगी अर्थात उस वित्तीय वर्ष में रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) की अधिकतम सीमा प्राप्त होते ही अभिदान की कटौती बन्द कर दी जायेगी। इस हेतु न्यूनतम अभिदान की सीमा को शिथिल समझा जायेगा।

8(4) इस प्रकार निर्धारित अभिदान की धनराशि को–	8(4) इस प्रकार निर्धारित अभिदान की धनराशि को–
(क) वर्ष के दौरान किसी समय एक बार कम किया जा सकता है,	(क) वर्ष के दौरान किसी समय एक बार कम किया जा सकता है,
(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है।	(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है।
परन्तु जब अभिदान की धनराशि इस प्रकार कम कर दी जाय तो वह उपनियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी:	परन्तु जब अभिदान की धनराशि इस प्रकार कम या अधिक कर दी जाय तो वह उपनियम (1) में विहित सीमा से कम या अधिक नहीं होगी।
परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कलेण्डर मास के भाग के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर या अर्द्ध वेतन/अर्द्ध औसत वेतन पर हो और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चुनाव किया हो तो इस वेतन की धनराशि छुट्टी पर व्यतीत किये गये दिनों की संख्या जिसके अन्तर्गत ऊपर निर्दिष्ट से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो भी है, अनुपात में होगा।	परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कलेण्डर मास के भाग के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर या अर्द्ध वेतन/अर्द्ध औसत वेतन पर छुट्टी पर हो और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चुनाव किया हो तो अभिदान की धनराशि ड्यूटी पर व्यतीत किये गये दिनों की संख्या जिसके अन्तर्गत ऊपर निर्दिष्ट से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो भी है, के अनुपात में होगा।

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 15-01-2025 10:35:51
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्या– 1/268268/2025 / XXVII(7)/ 25-E-51521/2025
देहरादून दिनांक 15, जनवरी, 2025

अधिसूचना सं0–1/268168/2025 / 25 / XXVII(7)/ E-51521/2023 दिनांक 15, जनवरी, 2025 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2025' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

Signed by
Shri Prakash Tiwari
Date: 15-01-2025 13:10:24
(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।